झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
षोडश (मानसून) सत्र
वर्ग-04

03 श्रावण, 1941 (श0)
निम्नलिखित तारांकित प्रश्न गुरुवार, दिनांक :- ....को
25 जुलाई, 2019 (ई0)

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पत्र अंकित रहेंगे :-

क0 सं0	विभागों को संसूचित की गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
96-	क0-07	श्री चमरा लिण्डा,	नोटिफिकेशन लागू करना।	अनु0जनजाति अनु0जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	18-07-19
97-	कृष-01	डॉ0इरफान अंसारी,	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	14-07-19
98-	क0-01	श्री आलमगीर आलम,	कब्रिस्तान की घेराबन्दी।	अनु0जनजाति अनु0जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	13-07-19
99-	जा0-08	श्री फूलचन्द मण्डल,	सब स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	13-07-19
100-	जा0-04	श्री भानु प्रताप शाही,	बिजली उपलब्ध कराना।	ऊर्जा	13-07-19
'क'101-	विधि-01	श्री राजकुमार यादव,	गिरफ्तारी की कार्रवाई करना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	15-07-19

कृ0पृ0उ0कृ............./-

01	02	03	04	05	06
102-	ग0-04	श्री रामकुमार पाहन,	डी0एस0पी0 कार्यालय स्थापित करना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	13-07-1
103-	जा0-16	श्री मनीष जायसवाल,	ग्रीड का जीर्णोद्धार।	ऊर्जा	18-07-1
104-	ज0-01	श्री रवीन्द्र नाथ महतो,	केनाल में फाटक लगाना।	जल संसाधन	13-07-1
105-	जा0-17	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह,	विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा	18-07-1
106-	जा0-12	श्री नागेन्द्र महतो,	सब-स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	17-07-1
107-	जा0-11	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी,	नियमित प्रोन्नति देना।	ऊर्जा	16-07-1
108-	ज0-06	श्री योगेश्वर महतो,	डैम का निर्माण।	जल संसाधन	16-07-1
109-	जा0-03	श्री राजकुमार यादव,	विद्युत विपत्र में सुधार।	ऊर्जा	14-07-1
110-	कृष0-08	श्री चम्पाई सोरेन,	बीमा राशि का भुगतान।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	18-07-19
111-	ज0-02	श्री कुणाल षड़ंगी,	तटबंध का निर्माण।	जल संसाधन	13-07-19
112-	का0-01	श्रीमती सीमा देवी,	प्रमाण पत्र निर्गत करना।	कार्मिक,प्रशा0 सु0तथा राजभाषा	13-07-19
113-	ज0-07	श्री साधु चरण महतो,	सिंचाई सुविधा देना।	जल संसाधन	16-07-19
114-	मस0-03	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी,	पेंशन भुगतान कराना।	महिला,बाल वि0 एवं सामाजिक सुरक्षा	18-07-19
115-	का0-03	श्रीमती विमला प्रधान,	अनु0जनजाति का दर्जा देना।	कार्मिक,प्रशा0 सु0तथा राजभाषा	16-07-19
116-	खा0-02	श्री शिवशंकर उराँव,	राशन दिलाना।	खाद्य,सार्व0वितरण एवं उप0मामले	16-07-19
117-	क0-03	प्रो0जय प्रकाश वर्मा,	एकलब्य विद्यालय खोलना।	अनु0जनजाति,अनु0जाति,अल्प0एवं पि0 वर्ग कल्याण	16-07-19
118-	जा0-09	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता,	विद्युत आपूर्ति ठीक करना।	ऊर्जा	16-07-19

कृ0पृ0उ...../-

01	02	03	04	05	06
'ख'119-	ग0-03	श्री कुणाल षड़ंगी,	मुआवजा देना।	जल संसाधन	13-07-19
120-	जा0-13	श्री दशरथ गागराई,	ट्रांसफार्मर बदलना।	ऊर्जा	17-07-19
121-	ग0-10	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी,	काराधीक्षकों का स्थानान्तरण।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	18-07-19
122-	जा0-01	श्रीमती सीमा देवी,	दोषियों पर कार्रवाई।	ऊर्जा	14-07-19
123-	खा0-03	श्री मनीष जायसवाल,	राशन कार्ड बनवाना।	खाद्य,सार्व0वि0 एवं उप0मामले	17-07-19
124-	ज0-10	श्री प्रकाश राम,	योजना का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	18-07-19
125-	क0-05	श्री दशरथ गागराई,	अस्पताल का संचालन।	अनु0जन0,अनु0 जति,अल्प0 एवं पि0वर्ग कल्याण	17-07-19
'ग'126-	मस0-02	प्रो0स्टीफन मराण्डी,	सेवा नियमित करना।	ग्रामीण विकास	17-07-19
127-	जा0-02	श्री शशिभूषण सामाड़,	ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराना।	ऊर्जा	14-07-19
128-	कृष0-06	श्री शिवशंकर उराँव,	राशि का भुगतान।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	16-07-19
129-	ज0-08	श्री नलिन सोरेन,	दोषियों पर कार्रवाई।	जल संसाधन	17-07-19
130-	कृष0-07	श्री अशोक कुमार,	योजना पूर्ण करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	16-07-19
'घ'131-	कृष0-05	श्रीमती विमला प्रधान,	माप-तौल पदाधिकारी की पदस्थापना।	खाद्य,सार्व0वि0 एवं उप0मामले	14-07-19
132-	खा0-01	श्री अरूप चटर्जी,	लंबित आवेदनों पर कार्रवाई।	खाद्य,सार्व0वि0 एवं उप0मामले	13-07-19
133-	ज0-09	श्री सुखदेव भगत,	डैम का निर्माण कराना।	जल संसाधन	18-07-19
134-	जा0-10	श्री योगेश्वर महतो,	विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	16-07-19
135-	का0-04	श्री लक्ष्मण टुडू,	रिक्त पदों को भरना।	कार्मिक,प्रशा0सु0 तथा राजभाषा	18-07-19

कृ0पृ0उ0...../-

01	02	03	04	05	06
136–	जा0–14	श्री राज सिन्हा,	ग्रीड को चालू कराना।	ऊर्जा	17-07-19
137–	ग0–09	श्री शशिभूषण सामाइ,	अग्निशमक केन्द्र स्थापित करना।	गृह,कारा एवं आ0प्रबंधन	18-07-19
138–	का0–05	श्री आलोक कुमार चौरसिया,	सूची में नामित करना।	कार्मिक,प्रशा0सुधार तथा राजभाषा	18-07-19
139–	मस0–01	श्री अशोक कुमार,	नियुक्ति पत्र देना।	महिला,बाल वि0 एवं सामा0सुरक्षा	16-07-19
140–	जा0–05	श्री जगरनाथ महतो,	कार्य में तीव्रता लाना।	ऊर्जा	13-07-19
141–	कृष0–03	श्री फूलचन्द मण्डल,	गोदाम का निर्माण।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	14-07-19
142–	ज0–11	श्री चम्पाई सोरेन,	लिफ्ट एरीगेशन का निर्माण।	जल संसाधन	18-07-19
143–	ग0–06	श्रीमती निर्मला देवी,	कानूनी कार्रवाई करना।	गृह,कारा एवं आ0 प्रबंधन	17-07-19
'च'144–	ग0–02	श्री रवीन्द्रनाथ महतो,	मुआवजा देना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	13-07-19
145–	जा0–06	श्री भानु प्रताप शाही,	ग्रीड चालू कराना।	ऊर्जा	13-07-19
146–	जा0–15	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन,	गॉवों का विद्युतीकरण।	ऊर्जा	17-07-19
147–	कृष0–04	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन,	पौधा संरक्षण केन्द्र का निर्माण।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	14-07-19
148–	क0–06	श्री नागेन्द्र महतो,	दोषियों पर कार्रवाई।	अनु0जनजाति,अनु0 जा0अल्प0एवं पि0 वर्ग कल्याण	17-07-19
149–	ज0–05	श्री प्रदीप यादव,	जलश्रोतों को पुनर्जीवित करना।	जल संसाधन	16-07-19
150–	ग0–07	श्री सुखदेव भगत,	कानून को स्थापित करना।	गृह,कारा एवं आ0प्रबंधन	18-07-19
151–	ग0–01	श्री राधाकृष्ण किशोर,	पुलिस अनुमंडल को कार्यरत बनाना।	गृह,कारा एवं आ0प्रबंधन	13-07-19

कृ0पृ0उ0...../–5

01	02	03	04	05	06
152-	ग0-08	श्री प्रकाश राम,	मुआवजा एवं नौकरी दिलाना।	गृह,कारा एवं आ0 प्रबंधन	18-07-19
'छ'153-	ग0-05	श्री अमित कुमार मंडल,	आश्रित को भूमि देना।	राजस्व,नि0 एवं भूमि सुधार	16-07-19
154-	ज0-04	श्री आलमगीर आलम,	कार्य चालू कराना।	जल संसाधन	16-07-19
'ज'155-	का0-02	श्री जगरनाथ महतो,	पदाधिकारी का स्थानान्तरण।	योजना-सह-वि0	13-07-19
156-	ज0-03	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता,	जल का संग्रहण।	जल संसाधन	16-07-19
157-	जा0-07	श्री रामकुमार पाहन,	बिजली खम्भा को हटाना।	ऊर्जा	13-07-19
158-	क0-04	श्री नलिन सोरेन,	दोषी पदाधिकारियों को दण्डित करना।	अनु0जनजाति,अनु0जा0अल्प0एवं पि0 वर्ग कल्याण	16-07-19
159-	कृष0-02	डॉ0इरफान अंसारी,	सिंचाई व्यवस्था मुहैया कराना।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	14-07-19

'क' :-विधि विभाग का पत्रांक-1333,दिनांक-16-07-2019 द्वारा गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानान्तरित।

'ख' :-गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का ज्ञापांक-3825,दिनांक-16-07-2019 द्वारा जल संसाधन विभाग में स्थानान्तरित।

'ग' :-महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के ज्ञापांक-1654,दिनांक-18-07-2019 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में स्थानान्तरित।

'घ' :-कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के ज्ञापांक-1718,दिनांक-18-07-2019 द्वारा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग में स्थानान्तरित।

'च' :-गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक-536,दिनांक-16-07-2019 द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में स्थानान्तरित।

'छ' :-गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-3866,दिनांक-18-07-2019 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भुमि सुधार विभाग में स्थानान्तरित।

'ज' :-कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक-5631,दिनांक-16-07-2019 द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग में स्थानान्तरित।

राँची,
दिनांकः-25जुलाई,2019 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0.....6/-

ज्ञाप संख्याः–प्रश्न–01/2018:–.....1616...../वि0स0,राँची,दिनांकः–.....20/7/19.....

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता, प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभगों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी
20/7/19

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची

ज्ञाप संख्याः–प्रश्न–01/2018:–.....1616...../वि0स0,राँची,दिनांकः–.....20/7/19.....

प्रतिलिपिः–माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय, अपर सचिव,(प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न),झारखण्ड विधान सभा को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी
20/7/19

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–प्रश्न–01/2018:–.....1616...../वि0स0,राँची,दिनांकः–.....20/7/19.....

प्रतिलिपिः– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी
20/7/19

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

गोपी कृष्ण भगत/

जितेन्द्र
20/07/19

(97)

डॉ० इरफान अंसारी, माननीय स०झा०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–01 का उत्तर।

क०सं०	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	डॉ० इरफान अंसारी, माननीय स०वि०स०	श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य अन्तर्गत मछली पालकों को उपलब्ध कराया गया मछली का जीरा घटिया स्तर का होने के कारण लगभग 37 प्रतिशत मछली के उत्पादन में ह्रास हुआ है;	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2018–19 में राज्य में कुल 8066 मत्स्य बीज उत्पादकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 1491.495 करोड़ मछली का जीरा (स्पॉन) प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2017–18 में राज्य में सभी श्रोतों से 1,90,000 मे० टन तथा 2018–19 में 2,08,000 मे० टन मछली का उत्पादन हुआ। इस प्रकार मछली के उत्पादन में कोई ह्रास नहीं हुआ है।
02	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों, कर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	उपर्युक्त अंकित तथ्यों के आलोक में आवश्यक नहीं है।

झारखण्ड सरकार,.
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक– म० नि०–XI/वि०स०–69/2019–20/992-/राँची, दिनांक 23/7/2019

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1381/वि०स०, राँची, दिनांक–14.07.2019 के आलोक में उत्तर की कुल 200 चक्रचालित प्रतियाँ/अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/07/19

सरकार के अवर सचिव

(98)

श्री आलमगीर आलम , माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–01

क्र०सं०	प्रश्न	माननीया मंत्री, कल्याण का उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत बरहरवा प्रखण्ड के ग्राम आगलोई में दो कब्रिस्तान के घेराबंदी की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है,	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा पत्रांक–1115 दिनांक–16.07.18 द्वारा सूचित किया गया है कि उल्लिखित योजनाओं की स्वीकृति नहीं दी गई है।
2	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला में वित्तीय वर्ष 2019–20 का कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु राशि का आवंटन अबतक उपलब्ध नहीं कराये जाने से कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।	अस्वीकारात्मक। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु कुल 30.00 करोड़ का बजट उपबन्ध है जिसके व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–104 दिनांक–10.06.19 द्वारा प्रदान की गई है तथा विभागीय आवंटनादेश संख्या–165 दिनांक–11.07.19 द्वारा साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखण्ड में स्वीकृत कब्रिस्तान घेराबंदी योजनाओं हेतु रू० 1390560.00 का आवंटन साहेबगंज जिला को उपलब्ध कराया गया है। शेष राशि के आवंटन संबंधी कार्रवाई चल रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार साहेबगंज जिला में वित्तीय वर्ष 2019–20 का कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु राशि का आवंटन उपलब्ध कराकर जिला के सभी कब्रिस्तानों का घेराबंदी का कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कण्डिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–5/वि०स०प्र०–07/19 2495 राँची, दिनांक– 23/7/19

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1357 दिनांक–13.07.19 के आलोक में 200(दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

23/7/19

(नेसार अहमद)
सरकार के अपर सचिव।

G:\Vidhan Sabha Question-1.docx

(99)

श्री फूलचंद मंडल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–08 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री फूलचंद मंडल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के मुकुन्दा सब स्टेशन से पूर बलियापुर अंचल क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की जाती है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि बलियापुर अंचल क्षेत्र के बाघमारा में निर्माणाधीन विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य अभी तक अपूर्ण है;	बाघमारा के हरिहरि में विद्युत सब-स्टेशन निर्माणाधीन है। Civil Work में Boundary Wall और Control Room का काम हुआ है एवं Electrical Work में Electrical Structure लगाने का काम 60% हुआ है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या सरकार खण्ड-2 में वर्णित सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण कर विद्युत आपूर्ति बहाल करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त के आलोक में प्रस्तावित 33/11 के०वी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, हरिहरि बलियापुर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 2019 के अंत तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :– 1838 / रॉंची, दिनांक :– 23/7/19

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/19

सरकार के अवर सचिव।

100

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि मेरे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरा गढ़वा जिला में बिजली की घोर संकट है, जिससे किसान, छात्र एवं आम जनता को काफी परेशानी हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार इस क्षेत्र में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने का रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान समय में गढ़वा जिले को विद्युत आपूर्ति B. More से होती है। जिसमें रिहन्द से 25 MW, B. More Grid को विद्युत आपूर्ति होती है, जबकि वर्त्तमान समय मे गढ़वा जिले को 80 MW विद्युत की आवश्यकता है, परंतु आवश्यकता अनुरूप उपलब्धता नहीं होने की वजह से भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्रों में सिर्फ 3-10 MW की ही आपूर्ति की जाती है। आवश्यकता अनुरूप विद्युत आपूर्ति के लिए एक ग्रीड सब-स्टेशन की नितांत आवश्यकता है, फिलहाल संचरण द्वारा भागोडीह में एक ग्रीड सब-स्टेशन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। ग्रीड के चालू होने के उपरांत गढ़वा जिले के तथा भवनाथपुर विधान-सभा क्षेत्र की विद्युत समस्या को दूर किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :– 1812 / राँची, दिनांक :– 20/7/19

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/19

सरकार के अवर सचिव।

श्री राजकुमार यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–26.07.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–विधि–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

(101)

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत धनवार थाना काण्ड सं०–284/15 सहित एस०टी०/एस०सी० के 49 दर्ज मुकदमें लंबित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त दर्ज लंबित मुकदमों पर पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया है पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है ;	प्रश्नाधीन लंबित कांड अनुसंधान अंतर्गत है। इन लंबित कांडो में कुल 13 अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में surrender किया गया है। कुल 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा 01 के विरूद्ध कुर्की जप्ति की कार्रवाई की गई है। अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध लगातार छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्रातिशीघ्र आरोप–पत्र/अंतिम प्रपत्र संभावित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह जिले के एस०टी०/एस०सी० के दर्ज मुकदमों पर तत्काल कार्रवाई कर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–06/2019-3875/ राँची, दिनांक–24/07/19 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1421, दिनांक–15.07.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/19
सरकार के अपर सचिव।

श्री रामकुमार पाहन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–04 का उत्तर प्रतिवेदन :– 102

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा, ओरमांझी, सिकिदिरी, मुरी एवं सिल्ली थानों के प्रशासनिक सुविधा हेतु वर्त्तमान में अनगड़ा में अस्थायी डी०एस०पी० कार्यालय बना है एवं कार्य कर रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनगड़ा में स्थायी डी०एस०पी० कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	पुलिस उपाधीक्षक, सिल्ली के कार्यालय भवन/आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध उपायुक्त, राँची से किया गया है। अभी तक भूमि प्राप्त नही हो सकी है। भूमि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–12/वि०स०–8002/2019–3876/ राँची, दिनांक–24/07/19 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1361, दिनांक–13.07.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/07/19
सरकार के अपर सचिव।

(103)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–16 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल अनतर्गत सभी जिलों में विद्युत आपूर्ति कार्य डी०भी०सी० द्वारा की जाती है साथ ही उक्त सभी जिलों में अवस्थित ग्रिड पर अधिपत्य उक्त कम्पनी का है जबकि राज्य के अन्य सभी शेष जिलों में राज्य ऊर्जा विकास निगम द्वारा संचालित ग्रिड से विद्युत आपूर्ति कार्य की जाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-01 में वर्णित प्रमण्डल के लोगों को उक्त कम्पनी द्वारा मुश्किल से मात्र 06 से 08 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाने के कारण लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	वर्णित प्रमण्डल में विद्युत आपूर्ति 18 से 20 घंटे तक की जा रही है।
3. क्या यह बात सही है कि सरकार राज्य के अन्य सभी जिलों में विद्युत आपूर्ति कार्य सुचारू हेतु लगभग सौ से अधिक ग्रिड का निर्माण करा रही है;	वर्तमान में :- 1) 40 ग्रीड सब स्टेशन कार्यरत है। 2) 55 ग्रीड सब स्टेशन निर्माणाधीन हैं। इसमें उत्तरी छोटानागपुर के 21 ग्रीड सब स्टेशन शामिल है। 3) पी०पी०पी० मोड़ के तहत 19 ग्रीड सब स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन का निर्माण प्रस्तावित है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या सरकार राज्यहित में खण्ड-01 में वर्णित ग्रिड को चालू वित्तीय वर्ष में ही जीर्णोद्धार/ विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल अंतर्गत सभी जिलों में झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम द्वारा 21 ग्रीड सब स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईनों का निर्माण कराया जा रहा है जिसे वर्ष 2021–22 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :– 1833/ राँची, दिनांक :– 23/7/19

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/19

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

104

श्री रवीन्द्र नाथ महतो, माननीय, स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–ज०–1 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत नाला विधान सभा क्षेत्र में अजय बराज नहर योजना का मूल कैनाल किस्टोपुर से ब्रांच कैनाल चंद्रवाद होते हुए सियारसुली की ओर बनाया गया है, परन्तु अभी तक उक्त स्थान में फाटक नहीं लगाया गया, न ही पानी छोड़ने का कोई उपाय किया गया, जो मूल कैनाल से चन्द्रबाद होते हुए सियारसूली तक पानी आ सके, जिससे उक्त क्षेत्र के किसानों को पानी के अभाव में खेती कार्य से वंचित रहना पड़ता है,	आंशिक स्वीकारात्मक
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार किसानों के हित में किस्टोपुर मूल कैनाल में फाटक लगाने या अन्य कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है, ताकि मूल कैनाल से बनाई गयी ब्रांच कैनाल चंद्रवाद होते हुए सियरसूली तक पानी जा सके, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	अजय बराज योजना के किस्टोपुर मुख्य नहर अन्तर्गत अफजलपुर शाखा नहर से निकलने वाली बाघाशोल वितरणी में फाटक (H.R.) बना हुआ है तथा उक्त वितरणी से अंतिम छोर तक पटवन हेतु पानी पहुँचाया जाता है। सियारसुली, चन्द्रबाद एवं अन्य ग्रामों के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा चयनित एजेन्सी (वॉप्कोस लिमिटेड) से Village Channel / Field Channel निर्माण हेतु CADWM अन्तर्गत विस्तृत सर्वे एवं DPR तैयार करने का कार्य कराया जा रहा है जो प्रगति पर है, संभवतः इस वर्ष के अन्त तक विस्तृत सर्वे एवं DPR तैयार करने का कार्य पूर्ण हो जायेगा। तदोपरान्त क्षेत्रीय संतुलन एवं बजटीय उपबंध के आधार पर इसकी स्वीकृति एवं कार्य कराने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक सं०–6/ज०स०वि०–20–तारां–66/2019– 4030 राँची/दिनांक 24/07/19

प्रतिलिपि–अवर/उप सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं० प्र०–1354, वि०स० दिनांक–13.07.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कॉके, राँची/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ प्रशाखा पदा०–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/07/19

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

105

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–17 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत पांकी, तरहसी, मनातू, सतबरवा एवं लेस्लीगंज प्रखण्ड में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य अब तक पूर्णरूपेण नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2 क्या यह बात सही है कि विद्युतीकरण के अभाव में कृषकों को सिंचाई सुलभ कराने में काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में समुचित विद्युतीकरण की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पलामू जिलान्तर्गत पॉकी के 183, तरहसी के 96, मनातू के 77, सतबरवा के 56 एवं लेस्लीगंज के 115 गाँवों को 10th Plan योजना में विद्युतीकृत कर दिया गया है। वर्तमान में विद्युतीकृत गाँवों के छुटे हुए अविद्युतीकृत टोलों को DDUGJY Scheme से पूर्ण रूपेण विद्युतीकृत करने का कार्य किया जा रहा है, जिसे पूर्ण करने का लक्ष्य सितम्बर 2019 है।

झारखण्ड सरकार

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :– 1837 / राँची, दिनांक :– 23/7/19

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/19

सरकार के अवर सचिव।

(106)

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–12 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बगोदर विधान सभा क्षेत्र के बगोदर प्रखण्डाधीन अटका पंचायत के अब्का पूर्वी एवं पश्चिमी, मण्डरो धरगुलो, कुदर, अडवारा, दोन्दलो, देवराडीह आदि पंचायत तथा सरिया प्रखण्ड के चियाकी, नगरकेशवारी, बन्दखारो, कोकामो, कैलाटांड़, चिरूआ, कुसमाडीह, कोईरीडीह आदि पंचायतों में लगातार अनियमित विद्युतापूर्ति से जन जीवन त्रस्त है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। प्रश्न में वर्णित प्रखण्डों के पंचायतों एवं ग्रामों में 132/33 के०भी० ग्रीड शक्ति उपकेन्द्र डी०भी०सी०, निमियाघाट से विद्युत की आपूर्ति की जाती है। ब्रेकडाउन को छोड़कर डी०भी०सी० से प्राप्त आपूर्ति के आधार पर रोटेशनवार प्रतिदिन औसतन 17 से 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड एक (1) में वर्णित अटका पंचायत तथा सरिया प्रखण्ड के चियाकी एवं नगरकेशवारी में पावर सब स्टेशन का निर्माण होने से उक्त पंचायतों के लोगों को अनियमित विद्युतापूर्ति से निजात मिलेगी;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या सरकार खण्ड दो (2) में वर्णित पंचायतों में सब स्टेशन के निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रखण्ड बगोदर, सरिया, बिरनी एवं सीमावर्त्ती प्रखण्डों के पंचायतों एवं ग्रामों के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करने हेतु दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत् औरा में 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण कार्य जारी है एवं कुलगो, अटका, खमरा, चोंगाखार एवं भरकट्ठा में झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना (JSBAY) फेज-2 के तहत् 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसमें कुलगो, भरकट्ठा, चोंगाखार में भूमि उपलब्ध हो गया है, बाकि जगहों पर भूमि चयन की प्रक्रिया जारी है।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :– 1834/ राँची, दिनांक :– 23/7/19

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/19

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(107)

श्री निर्भय कुमार शाहबादी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–11 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री निर्भय कुमार शाहबादी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1.क्या यह बात सही है कि, राज्य गठन से अबतक सभी जिलों के सरकारी भवनों में विद्युत अधिष्ठापन के कार्यों का संचालन विद्युत कार्य प्रमण्डल का कार्यालय, राँची एवं धनबाद द्वारा की जाने के साथ–साथ राज्य विद्युत निरीक्षणालय के कार्यालय का संचालन भी विभाग द्वारा की जाती है;	स्वीकारात्मक। राज्य के सभी जिलों के सरकारी भवनों में विद्युत अधिष्ठापन के कार्यों को विद्युत कार्य प्रमण्डल, धनबाद एवं राँची द्वारा किया जाता है। विद्युत निरीक्षणालय के कार्यालय का संचालन विभाग के मुख्य विद्युत अभियंता–सह–मुख्य विद्युत निरीक्षक के द्वारा की जाती है।
2.क्या यह बात सही है कि, खण्ड–01 में वर्णित कार्यालयों में वर्ष 2011 से अबतक मुख्य विद्युत अभियंता के साथ–साथ मुख्य विद्युत निरीक्षक का पद प्रभार में चल रही है, जबकि वर्ष 2015 से उक्त विभाग में कई अभियंता मुख्य अभियंता तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक पद की अहर्ता व योग्यता को पूरा करने के बावजूद उक्त विभाग में प्रोन्नति को लम्बित रखी गई है;	स्वीकारात्मक।
3.क्या यह बात सही है कि, राज्य में सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि (न्याय) विभाग ने माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.S.-27/09/2011 में पारित आदेश अन्तर्गत पत्र संख्या–2192, दिनांक–06 सितम्बर,2011 अन्तर्गत सभी नियमित पदों पर प्रभार न देने के संबंध में सरकार के सभी सचिव/प्रधान सचिव को पत्र निर्गत किये जाने के बावजूद अबतक प्रभार की व्यवस्था को समाप्त नहीं की गई है;	स्वीकारात्मक। नियमावली के प्रक्रियाधीन रहने के कारण प्रभार संबंधी व्यवस्था कार्य हित में जारी रखी गई है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–02 में वर्णित रिक्त पदों पर नियमित प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	नियमावली का गठन प्रक्रियाधीन है इसके गठन के पश्चात् नियमित प्रोन्नति दी जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :–1856/ राँची, दिनांक :–24/7/19

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/19
(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

D:\Vihan Sabha (Question & Answer)\2019\Manson Session\Tarankit parsan.docx

108

श्री योगेश्वर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-25-07-19 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-06 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के जरीडीह प्रखंड का अराजू पंचायत कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ आज तक पानी संचय के लिए डैम/चेकडैम का निर्माण नहीं हुआ है। परिणामतः सिंचाई सुविधा के अभाव में बड़ी मात्रा में कृषक रोजगार की तलाश में अन्य प्रांतो में पलायन करने को मजबूर है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कृषक हित में समुचित स्थान पर डैम का निर्माण मध्यम सिंचाई योजना से कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?	अराजू पंचायत में गटी झरना एवं कुपिया नाला के उद्‌गम स्थल में झरना का पानी वर्षा के दिनों में काफी उँचाई से गिरता है। अराजू पंचायत में तकनीकी दृष्टिकोण से मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण संभव नहीं है। अराजू पंचायत के ग्राम–रोरिया के सामने बड़ा नाला पर एवं उसी ग्राम में गवई नदी पर चेकडैम निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार है। बजटीय उपबंध निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए योजना का कार्य कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां0–72/2019 3984 / राँची, दिनांक–23/07/19

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–..... दिनांक–..... के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/19

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(109)

श्री राज कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या जा०--03 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री राज कुमार यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला का प्रखण्ड धनवार, गावां एवं तिसरी कृषि प्रधान क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि इन ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 5–6 घंटे ही विद्युत आपूर्ति की जाती है जिससे किसान पटवन से वंचित रह जाते हैं और फसल की पैदावार कम होती है और साथ ही छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में भी कठिनाई होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वर्त्तमान में प्रखण्ड धनवार, गावां एवं तिसरी में 132/33 के०भी० ग्रीड शक्ति उपकेन्द्र डी०भी०सी० भोरंडीहा, गिरिडीह से विद्युत आपूर्ति की जाती है, डी०भी०सी० से प्राप्त आपूर्ति के आधार पर रोटेशन वार प्रतिदिन औसतन 10 से 12 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
3. क्या यह बात सही है कि इन क्षेत्रों में त्रुटिपूर्ण विद्युत विपत्र उपलब्ध कराने से भी किसान एवं उपभोक्ता परेशान हैं;	अस्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या सरकार उपरोक्त तीनों प्रखण्डों के किसानों व विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत उपलब्ध कराने तथा विपत्रों में सुधार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	त्रुटिपूर्ण विद्युत विपत्र के संबंध में उपभोक्ताओं के द्वारा कार्यालय को सूचित किये जाने के अगले ही माह निगम के नियमानुसार विपत्र में सुधार कर उपभोक्ताओं को विपत्र उपलब्ध करा दिया जाता है। धनवार प्रखण्ड में उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली प्रदान करने हेतु करहरबारी, जमुआ एवं सरिया ग्रिड बनकर तैयार है। गावा एवं तिसरी प्रखण्ड में विद्युत आपूर्ति हेतु गावा ग्रिड का कार्य प्रारम्भ हो चुका है जिसे वन विभाग से अनापत्ति एवं Work Permit प्राप्त कर अप्रैल 2020 तक ग्रिड को ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :– 1862 / राँची, दिनांक :– 24/7/19

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/19

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(110)

श्री चम्पाई सोरेन, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–08 का प्रश्नोत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री चम्पई सोरेन, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभागः–

क्र०	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिला अन्तर्गत किसान ने वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में फसल बीमा योजना के तहत् फसल बीमा कराया था ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिला को सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के बाद भी फसल सुरक्षा बीमा के तहत् उन किसानों को अब तक फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	खरीफ 2015 मौसम में, सरायकेला–खरसावां जिले के 11421 (ऋणी एवं गैर ऋणी) बीमित कृषकों को मो0–8,41,36,799.38 (आठ करोड़ एकतालीस लाख छत्तीस हजार सात सौ निन्यान्वे रूपये अड़तीस पैसे) रूपये क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया। रब्बी 2015–16 मौसम में सरायकेला–खरसावां अन्तर्गत गेहूँ के लिए ईचागढ़ प्रखण्ड एवं आलू के लिए गम्हरिया प्रखण्ड क्षतिपूर्ति के योग्य पाये गये, परन्तु फसल क्षेत्र एवं बीमित क्षेत्र में विसंगति पाये जाने के कारण देय क्षतिपूर्ति लंबित है। संबंधित निदेशालय से उपरोक्त विसंगति निराकरण प्रक्रियाधीन है। खरीफ 2016 मौसम में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रेषित उपज दर ऑकड़ों के अनुसार जिले के कोई भी ग्राम पंचायत में थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में कमी नहीं पायी गयी। अतः क्षतिपूर्ति देय नहीं है। सरायकेला–खरसावां जिले में मौसम रब्बी 2016–17 में क्षतिपूर्ति दावा शून्य है। सरायकेला–खरसावां जिले में मौसम खरीफ, 2017 में ऋणी एवं गैर ऋणी कुल 2661 कृषकों की बीच 62,83,532.00 रू0 क्षतिपूर्ति राशि का वितरण किया गया।

ह0/–
(राम प्रकाश मण्डल)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–07/फसल बीमा (वि0स0) तारांकित–31/2019 सह0 1338 **/राँची, दिनांक–** 24.07.19

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं0प्र0 1572 वि0स0 दिनांक 18.07.2019 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/07/19
सरकार के अवर सचिव।

D:\S.Murmu\Vidhan sabha Question 2018.docx

111

श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय, स॰वि॰स॰ द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–ज–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रखण्ड बहरागोड़ा के मौजा पानीपाड़ा में सुवर्णरेखा नदी के कटाव के कारण गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है एवं किसानों की जमीन नदी में समाहित हो रही है।	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि जल संसाधन विभाग द्वारा गांव का जायजा लेने के बावजूद आज तक तटबंध बनाने का काम शुरू नहीं किया गया है,	तटबंध निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य के उपरांत विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या पानीपाड़ा गांव में सुवर्णरेखा नदी के कटाव को रोकने के लिए तटबंध निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	सुवर्णरेखा नदी के कटाव को रोकने के लिए तटबंध निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य किया गया है। विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। निधि की उपलब्धता एवं कार्य की प्राथमिकता के आलोक में स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०स०वि०–20–तारां०–67/2019 4036 **/राँची, दिनांक–** 24/07/19

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं०प्र०–1355, दिनांक–13.07.2019 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, चांडिल कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/प्रशाखा पदा०–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/07/19

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

G:\Node-4\De. Sir\Vidhan Sabha\Kunal Shanagee.doc

(112)

श्रीमती सीमा देवी, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि राज्य में 'चीक बड़ाईक' समुदाय के लोगों को जनजाति का दर्जा दिया गया है एवं इन्हें जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है,	स्वीकारात्मक। चीक–बड़ाईक राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक 10 पर सूचीबद्ध है।
02.	क्या यह बात सही है कि खतियान में सिर्फ 'चीक' अथवा 'बड़ाईक' दर्ज रहने पर इन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विभागीय पत्र सं0–6327, दिनांक–20.11.2002 के अनुसार जिन व्यक्तियों के आर0एस0 खतियान अथवा सी0एस0 खतियान में कौम "चीक" अंकित है। उन्हें सीधे चीक बड़ाईक श्रेणी में घोषित नहीं किया जा सकता। उनके संबंध में स्थानीय जाँच के पश्चात् यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वे वास्तव में "चीक बड़ाईक" अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। स्थानीय जाँच में ऐसे रैयत या उनके वंशजों के रहन–सहन, वेश–भूषा, खान–पान एवं लोकाचार तथा संस्कृति को आधार बनाना होगा जिससे यह निष्कर्ष निकल सके कि वे वास्तव में "चीक बड़ाईक" अनुसूचित जनजाति के ही सदस्य हैं।
03.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खतियान में सिर्फ 'चीक' अथवा 'बड़ाईक' दर्ज खतियानधारियों को जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–23 / 2019 का0–5865 / रांची, दिनांक 23/7/19

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–1369 / वि0स0, दिनांक–13.07.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दीपक सिन्हा
23/7/19
(दीपक कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

(113)

श्री साधु चरण महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला खरसावाँ जिला अन्तर्गत बने चाण्डिल डैम से डैम के चारों ओर जल नीति में उपबंधित नियमों के अनुरूप सिंचाई की सुविधा प्रदान नहीं की गई है,	चांडिल जलाशय में जल की उपलब्धता के आधार पर चांडिल बाँयी मुख्य नहर एवं चांडिल दाँयी मुख्य नहर के द्वारा कमाण्ड एरिया का निर्धारण केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा किया गया है। इसके अलावे कमाण्ड एरिया के लिए जल उपलब्ध नहीं होगी। चांडिल डैम के पानी से वर्णित स्थानों पर लिफ्ट एरीगेशन सिस्टम द्वारा सिंचाई का प्रावधान केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत DPR में नहीं है। इस योजना को केन्द्र के AIBP कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो रही है, इसके DPR पर जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के TAC की स्वीकृति प्राप्त है। नियमानुसार इसके मूल स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या जनहित में चाण्डिल डैम के चारों ओर लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–73/2019 – 3991 **/राँची, दिनांक** 23/07/19

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1492 वि०स० दिनांक 16.07.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, चांडिल कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/19

(प्रदीप कुमार)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

114

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 25.07.2019 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–मस–03 का उत्तर :–

<table>
<tr><th>क्रम</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य में वृद्धा एवं विधवा पेंशन योजना संचालित है जिसमें वृद्धा पेंशन हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनेवाले परिवारों के वैसे महिला/पुरूष जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा विधवा पेंशन हेतु उक्त परिवारों की वैसी विधवा जिसकी 40 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो को प्रतिमाह 600/–रूपये राशि के दर से भुगतान करने का प्रावधान है जिसे बढ़ाकर अप्रैल, 2019 से प्रतिमाह 1,000/–रूपये कर दी गई है ;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, धनबाद सहित कई अन्य जिलों में खण्ड–1 में वर्णित पेंशन का भुगतान ससमय नहीं की जाने के कारण उक्त लाभुकों को काफी कठिनाई हो रही है साथ ही गिरिडीह में उक्त नये परिवारों का नाम उक्त योजना में शामिल नहीं की जा रही है;</td><td>माह जून,19 के पूर्व तकनीकी कारणों से लाभुकों को पेंशन राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा था, किन्तु वर्त्तमान में पेंशन राशि का भुगतान ससमय किया जा रहा है।
<table><tr><th rowspan="2">क्र0 सं0</th><th rowspan="2">जिला का नाम</th><th colspan="3">All Schemes</th></tr><tr><th>कुल आवंटित राशि</th><th>कुल व्यय राशि</th><th>व्यय प्रतिशत</th></tr><tr><td>1</td><td>देवघर</td><td>9381.99</td><td>1998.76</td><td>21.3</td></tr><tr><td>2</td><td>हजारीबाग</td><td>10867.50</td><td>3072.32</td><td>28.3</td></tr><tr><td>3</td><td>गिरिडीह</td><td>13639.83</td><td>3794.80</td><td>27.8</td></tr><tr><td>4</td><td>धनबाद</td><td>12991.96</td><td>4242.56</td><td>32.7</td></tr><tr><td colspan="2">कुल योगः–</td><td>46881.28</td><td>13108.44</td><td>28.0</td></tr></table>स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना वित्तीय वर्ष 2018–19 में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से संचालित की जा रही थी। वित्तीय वर्ष 2019–20 से इस योजना का संचालन जिला में पदस्थापित सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के माध्यम से किया जाना है। हस्तान्तरण की प्रक्रिया चालू है एवं सहायक निदेशकों द्वारा प्राप्त सूची के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।
जहाँ तक गिरिडीह में नये लाभुकों का नाम योजना में शामिल किये जाने का है तो, गिरिडीह जिला को सभी पेंशन योजना में कुल 1,22,855 लक्ष्य आवंटित है, जिसके विरूद्व 99,709 लाभुक आच्छादित है। योजनावार रिक्तियों के आधार पर स्वीकृति जारी है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में गिरिडीह जिला</td><td>उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 के प्रश्नोत्तर के आलोक में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।</td></tr>
</table>

	सहित राज्य के अन्य सभी जिलों में खण्ड–01 में वर्णित पेंशन का भुगतान ससमय कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/वि०स०/तारांकित प्रश्न–192/2019 –1717 राँची, दिनांक : 24-07-2019

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0— 1569/वि0र दिनांक–18.07.2019 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/07/20

(लालू कच्छप)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(115)

श्रीमती विमला प्रधान, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का०–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में निवास करने वाले गोंड़ एवं राजगोंड का नाम सन् 1932–33 के खतियान में दर्ज था, परन्तु वर्ष 1950 में सिर्फ गोड़ को (6वीं अनुसूची भाग 22 के क्रमांक में) ST के रूप में दर्ज दिखाया गया है;	अंशतः स्वीकारात्मक। "गोंड" जाति झारखण्ड राज्य हेतु अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक–11 में सूचीबद्ध है।
02.	क्या यह बात सही है कि भारत के अन्य राज्य जैसे–मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात एवं महाराष्ट्र सहित राज्य में गोंड एवं राजगोंड दोनों को ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा संविधान के अंतर्गत दिया गया है;	अंशतः स्वीकारात्मक।
03.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा TRI सर्वे के बाद राजगोंड को गोंड की उपजाति मानते हुए भारत सरकार को अनुशंसा भेजा गया, परन्तु RGI द्वारा राज्य सरकार को वापस कर दिया गया;	स्वीकारात्मक।
04.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार भारत के अन्य राज्यों की भाँति झारखण्ड में भी राजगोंड को गोंड जाति की उपजाति मानते हुए ST का दर्जा प्रदान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	"राजगोंड" एवं "नायक" जाति को झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के क्रमांक 11 पर सूचीबद्ध "गोंड" जाति के समतुल्य अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव का समर्थन भारत के महापंजीयक के कार्यालय के द्वारा नहीं किए जाने की सूचना जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र सं०–12026/38/2015 सीएंडएलएम, दिनांक–10.07.2017 के द्वारा देते हुए भारत के महापंजीयक के कार्यालय के टिप्पण के संदर्भ में कोई मत/औचित्य, यदि कोई हो, तो उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त की प्रति संलग्न करते हुए भारत के महापंजीयक के कार्यालय के टिप्पण के संदर्भ में कोई मत/औचित्य, यदि कोई हो, तो उपलब्ध कराने का अनुरोध डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान राँची से विभागीय पत्र सं०–89, दिनांक–03.01.2018 के द्वारा किया गया है। इस संबंध में विभागीय पत्र सं०–5694, दिनांक–18.07.2019 के द्वारा अंतिम स्मार पत्र भी प्रेषित है। शोध संस्थान से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा०वि०स०–07–24/2019 का०–5864/रांची, दिनांक 23/7/19

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–1481/वि०स०, दिनांक–16.07.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/19
(दीपक कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

(116)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 25.07.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– खा०–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री शिवशंकर उराँव,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि, राज्य के सभी आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर माह राशन (पैक्ड पैकेट) दिया जाना सुनिश्चित है और लाभुकों की कठिनाईयों को देखते हुए **डोर–स्टेप डिलीवरी** के माध्यम से उन्हें उनके घर तक राशन पहुँचाना अनिवार्य है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि, ऐसे हिताग्राही आदिम जनजाति लाभुक किसी कारणवश किसी महिने राशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उन्हें अगले महिने के राशन कोटे के साथ पिछले महिने का राशन भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है;	स्वीकारात्मक।
(3) क्या यह बात सही है कि, चैनपुर प्रखण्ड के जनावल पंचायत अन्तर्गत ग्राम–डोकापाठ, ककरंगपाठ, बेसनापाठ आदि में निवास करने वाले आदिम जनजाति परिवार के लोगों को प्रतिमाह डोर स्टेप डिलीवरी नहीं होती है और किसी कारणवश विगत महिने को राशन शेष रह गया तो कभी दिया ही नहीं जाता है;	अस्वीकारात्मक। जनावल पंचायत में कुल 347 आदिम जनजाति के लाभुक हैं पिछले तीन माह में माह मई का 19.05.2019 को माह जून में 15.06.2019 तथा माह जुलाई में 19.07.2019 को विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पी०वि०टी०जी० डाकिया योजना) के तहत इन सभी लाभुकों को खाद्यान्न का वितरण किया गया है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त गाँवों के आदिम जनजाति समुदायों के लोगों सहित राज्य के आदिम जनजाति समुदाय के हित में इस मामले का गंभीरता पूर्वक जाँच कराकर संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों को दंडित करते हुए लाभुकों को सुनिश्चित राशन दिलाने हेतु समुचित कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आदिम जनजाति समुह को प्रति माह विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पी०वि०टी०जी० डाकिया योजना) के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है।

ह0 / –
(थॉमस डुंगडुंग),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 25 / 2019– 2172 / राँची, दिनांक 23/07/19

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 1486 / वि०स०, दिनांक 16.07.2019 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/19

सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\D. Food\Vikash Kumar\2019-20\Ujha Gai\Manson Satra\Vidhan sabha Question & Answer 25-07-2019.docx

(117)

प्रो० जय प्रकाश वर्मा, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–क०–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बेंगाबाद प्रखण्ड अनुसूचित जनजाति बाहुल्य प्रखण्ड है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आने वाले समुदाय के अधिकतर लोगों की आर्थिक स्थिति दयनिय होती है। ये अपने बच्चों के शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होते है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनुसूचित जनजाति के बच्चों के पढ़ाई हेतु बेंगाबाद प्रखण्ड में 'एकलव्य' विद्यालय खोलने की मंशा रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए 116 आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें बेंगाबाद प्रखण्ड सहित झारखण्ड के सभी अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राएँ विहित प्रक्रिया के तहत् अपना नामांकन कराकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः– 10/वि०स०प्र०–EMRS–53/2019 2496 राँची, दिनांकः– 23/7/19

प्रतिलिपिः–उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 1499, दिनांकः– 16.07.19 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के विशेष सचिव।

(118)

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–09 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद, हैदर नगर, एवं मोहम्मदगंज प्रखण्ड को बिजली की सप्लाई बिहार के सोन नगर से होता है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड एक (i) में वर्णित सोन नगर से विद्युत आपूर्ति होने के कारण वर्णित प्रखण्डों में आए दिन ब्लैक आउट (बिजली) होते रहते हैं, जिसके कारण छात्र-छात्राओं एवं आम जनता का भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में इन क्षेत्रों में 18–20 घंटा बिजली आपूर्ति की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या सरकार B (बी) मोड़ से पचम्ब ग्रीड को जोड़कर नियमित विद्युत आपूर्ति वर्णित प्रखण्डों में सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	नी० मोड़ स्थित गढ़वा रोड ग्रिड सब-स्टेशन से पचम्बा स्थित जपला ग्रिड सब-स्टेशन 132 के०वी० संचरण लाईन से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त 132 के०वी० गढ़वा रोड-जपला संचरण लाईन का निर्माण कराया जा रहा है। संचरण लाईन के निर्माण में वन क्षेत्र पड़ने के कारण वन विभाग में Forest Clearance का मामला प्रक्रियाधीन है। वन विभाग से Forest Clearance प्राप्त होते ही निर्माण कार्य त्वरित गति से पूर्ण कर लाईन को चालू कर दिया जायेगा। भागोडीह, गढ़वा में 220/132 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन बन कर तैयार है। पचम्बा ग्रिड सब-स्टेशन को लहलहे, डाल्टेनगंज स्थित पावर ग्रिड से जोड़ने हेतु 220 के०वी० गढ़वा (भागोडीह)- डाल्टेनगंज संचरण लाईन एवं 132 के०वी० भागोडीह-गढ़वा रोड संचरण लाईन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अक्टूबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर पचम्बा ग्रिड सब-स्टेशन सीधे डाल्टेनगंज स्थित पावर ग्रिड से जुड़ जायेगा तथा हुसैनाबाद, हैदर नगर एवं मोहम्मदगंज प्रखण्ड को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :– 1857 / राँची, दिनांक :– 24/7/19

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/19

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

119

श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ग०–03 का उत्तर प्रतिवेदन

तारांकित प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रखण्ड चाकुलिया में इसी वर्ष नहर में डुबने से 3 छात्रों की मौत हो गई है, जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला पाया है,	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जल्द से जल्द मृत छात्रों के परिजनों को चार–चार लाख रूपया का मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	विभागीय संकल्प संख्या–969 दिनांक–25.10.2018 द्वारा नाव दुर्घटना, नदियों/डोभा/जलप्रपात में डुबने से होने वाले जानमाल की क्षति के निमित अनुदान की राशि प्रभावितों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित किया गया है। प्रस्तुत यह मामला नहर में डुबने से हुई मृत्यु से संबंधित है जो भारत/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल नहीं है। राज्य आपदा मोचन निधि से इस प्रकार के मामलों में भुगतान करना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–40/2019–558/आ०प्र०, दिनांक– 24/07/19

प्रतिलिपि– माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची /अवर सचिव, विधायी शाखा, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (गृह प्रभाग), झारखण्ड, राँची /उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1360 दिनांक–13.07.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजीव कुमार
24/07/2019
(राजीव कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

120

श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–13 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री दशरथ गागराई, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के खूँटपानी प्रखण्ड के 10/2016 के०वी०ए० के 50 विद्युत ट्रांसफार्मर खराब है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त खराब ट्रांसफार्मरों को विगत दो वर्षों से नहीं बदले जाने के कारण संबंधित गाँवों में विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या सरकार 10/2016 के०वी०ए० के खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पश्चिमी सिंहभूम जिला के प्रखण्ड खूँटपानी के वर्णित विभिन्न गाँवों में 10 एवं 16 के०वी०ए० के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। जले हुए 10 एवं 16 के०वी०ए० के ट्रांसफार्मर को 25 के०वी०ए० के नये ट्रांसफार्मर से बदलने का कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। पूर्व में पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कार्य M/s IL&FS को को आवंटित था। उक्त कार्य को करने के लिए पूर्व से चयनित कम्पनी आई०एल०एफ०एस० को धीमा कार्य करने के कारण निगम मुख्यालय के द्वारा मुख्य अभियंता (ग्रामीण विद्युतीकरण) के पत्रांक 500 दिनांक 23.01.2019 से अनुबंध रद्द कर दिया गया है। निविदा प्रक्रिया के तहत् M/s ANVIL Cables को, मुख्य अभियंता (ग्रामीण विद्युतीकरण) के पत्रांक 1627/RE दिनांक 05.03.2019 से यह कार्य निगम मुख्यालय द्वारा आवंटित किया गया है। नये एजेंसी द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं वर्तमान में सामानों की क्रय की प्रक्रिया चल रही है। सितम्बर 2019 तक यह कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :– 1832 राँची, दिनांक :– 23/7/19

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/19

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

121

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधान के अनुसार किसी पदाधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन तीन वर्षो के पश्चात् कर दिया जाता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है निम्नांकित काराओं के अधीक्षक– (क) केन्द्रीय कारा होटवार, राँची–05 वर्षो से (ख) केन्द्रीय कारा मेदनीनगर,–04 वर्षो से (ग) मंडल कारा, चास (बोकारो) 3.1/2 वर्षो से (घ) मंडल कारा, गढ़वा 3.1/2 वर्षो से ज्यादा समय से एक ही कारा में पदस्थापित/कार्यरत है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तीन वर्षो से ज्यादा लम्बे अवधि से एक ही स्थान पर पदस्थापित/कार्यरत काराधीक्षकों के स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आगामी स्थापना समिति की बैठक में कंडिका–2 में उल्लेखित मामलों पर विचार किया जायगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–06/2019–3877/ राँची, दिनांक–24/07/19 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1559, दिनांक–18.07.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/07/19

सरकार के अपर सचिव।

(122)

श्रीमती सीमा देवी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती सीमा देवी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत सिल्ली प्रखण्ड में विभाग द्वारा बिजली बिल कलेक्शन हेतु सिफियास (Xiphias) नामक एजेंसी को जिम्मेवारी दी गई है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कलेक्शन राशि के 99 लाख रूपये का गबन किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। गबन की राशि रू0 93,42,280/– (तिरानवे लाख बयालीस हजार दो सौ अस्सी) है। इस हेतु तदेन सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, टाटिसिलवे के द्वारा थाना काण्ड सं0 124/17 दिनांक 07.12.2017 को सिल्ली थाना में दर्ज कराया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (I) में वर्णित एजेंसी को काली सूची मे डालते हुए गबन की गयी राशि के दोषियों पर कानूनी कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	झा0बि0वि0नि0लि0 में प्रचलित नियमों के अंतगर्त उक्त वर्णित गबन की राशि वसूलने हेतु सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं जाँच रिर्पोट आने पर खण्ड –1 में वर्णित एजेंसी पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। उक्त प्रकरण में संबंधित झा0बि0वि0नि0लि0 के कार्यरत निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई है:– (1) श्री धीरेन्द्र कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, टाटिसिलवे को कार्यालय आदेश सं0 113 दिनांक 17.01. 2018 द्वारा निलिंबित किया गया एवं कार्यालय आदेश सं0 1382 दिनांक 30.07.2018 द्वारा निलंबन वापस कर उन पर विभागीय कार्यवाही चलाई जा रही है। (2) श्री कुँवर वीरेन्द्र सिंह, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, टाटिसिलवे को कार्यालय आदेश सं0 114 दिनांक 17.01.2018 द्वारा निलिंबित किया गया एवं कार्यालय आदेश सं0 1384 दिनांक 30.07.2018 द्वारा निलंबन वापस कर उन पर विभागीय कार्यवाही चलाई जा रही है। (3) श्री जगदेव महतो, सहायक विद्युत अभियंता (इन- चार्ज), विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, टाटिसिलवे को कार्यालय आदेश सं0 115 दिनांक 17.01.2018 द्वारा निलिंबित किया गया एवं कार्यालय आदेश सं0 1383 दिनांक 30.07.2018 द्वारा निलंबन वापस कर उन पर विभागीय

	कार्यवाही चलाई जा रही है। (4) श्री अवधेश कुमार बख्शी, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, टाटिसिलवे को कार्यालय आदेश सं0 116 दिनांक 17.01.2018 द्वारा निलंबित किया गया एवं कार्यालय आदेश सं0 1381 दिनांक 30.07.2018 द्वारा निलंबन वापस कर उन पर विभागीय कार्यवाही चलाई जा रही है। (5) श्री अजय मुण्डा, लेखापाल, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, टाटिसिलवे को कार्यालय आदेश सं0 117 दिनांक 17.01.2018 द्वारा निलंबित किया गया एवं अब–तक निलंबन वापस नहीं लिया गया और उन पर विभागीय कार्यवाही चलाई जा रही है। विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरान्त दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारी पर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। गबन की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की गई तथा रू0 10,86,500/– की वसूली झा0वि0वि0नि0लि0 द्वारा अविलंब की गई।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :– 1861 / राँची, दिनांक :– 24/7/19

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/19

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

123

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 25.07.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– खा०–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री मनीष जायसवाल,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि, राज्य में प्रतिवर्ष बी०पी०एल० एवं ए०पी०एल० परिवारों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है जिसमें अबतक सिर्फ हजारीबाग विधान सभा क्षेत्र में लगभग पाँच हजार से अधिक उक्त परिवारों का अब तक राशन कार्ड नहीं बनने के कारण उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी महत्वकाँक्षी योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक। राज्य में प्रतिवर्ष बी०पी०एल० एवं ए०पी०एल० परिवारों की संख्या में वृद्धि हुयी है। हजारीबाग जिला के हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सभी प्रखण्डों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत लाभुकों का आच्छादन कर कुल 87,743 लाभुक परिवारों (3,96,464 लाभुक) को राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ERCMS के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर जाँचोपरान्त प्राथमिकता के आधार पर नये राशन कार्ड का निर्माण जारी है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों को आच्छादित करने की अधिकतम सीमा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 86.48 प्रतिशत आबादी एवं शहरी क्षेत्र के लिए 60.20 प्रतिशत आबादी निर्धारित की गयी है। उक्त के आलोक में अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले अधिकतम लाभुकों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2,64,43,330 है। वर्तमान में अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के 2,62,89,874 व्यक्ति आच्छादित हैं। इस प्रकार कुल 1,53,456 लाभुकों हेतु रिक्ति उपलब्ध है जिसके विरूद्ध कुल 8,63,028 राशन कार्ड के आवेदन लंबित है।
(2) क्या यह बात सही है कि, हजारीबाग जिला सहित राज्य के कई जिले जैसे–राँची, रामगढ़, देवघर, धनबाद सहित कई अन्य जिलों में बी०पी०एल० एवं ए०पी०एल० परिवारों के नाम पर साधन संपन्न लोगों द्वारा बनाये गये फर्जी राशन कार्ड का पर्दाफाश हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभाग द्वारा समय–समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्रकाशित कर अयोग्य लोगो को राशन कार्ड समर्पित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में अयोग्य लाभुकों द्वारा पी०एच०एच०/ अन्त्योदय राशन कार्ड प्रत्यर्पित किया जा रहा है। वैसे लाभुक जो पी०एच०एच०/अन्त्योदय राशन कार्ड की अहर्त्ता नहीं रखते हैं उनकी छटनी हेतु जिलों में विशेष अभियान चलाकर चिन्हित कर जाँचोपरान्त राशन कार्ड रद्द करने एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई की जा रही है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्यहित एवं जनहित में हजारीबाग जिला सहित राज्य के अन्य सभी जिलों के खण्ड–1 में वर्णित परिवारों का राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से बनवाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

ह0/–
(थॉमस डुंगडुंग),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 26/2019– 2186 /राँची, दिनांक 23/07/19

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1544/वि०स०, दिनांक 17.07.2019 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री प्रकाश राम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-25-07-19 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-10 का उत्तर प्रतिवेदन।

124

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत बालूमाथ प्रखंड में 1--कोमर म0सिं0यो0, 2--बसिया म0सिं0यो0, 3--बनियो म0सिं0यो0, 4--चेताग सेमरसोत म0सिं0यो0, बारीयातु प्रखंड में 1--अमरवाडिह म0सिं0यो0 एवं चन्दवा प्रखंड में 1--आन म0सिं0यो0, 2--बेतर म0सिं0यो0 से हजारो एकड़ भूमि की सिंचाई सुनिश्चित होती थी ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में खण्ड--1 में वर्णित सभी म0सिं0यो0 जीर्ण--शीर्ण अवस्था में जिससे स्थानीय कृषकों को खेती करने में कठिनाई हो रही है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड--1 में वर्णित चन्दवा प्रखंड का आन म0सि0यो0 दो वर्ष पूर्व बाढ़ आने से पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड--1 में वर्णित सभी म0सिं0यो0 का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?	प्रश्नगत योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार कर योजना का जीर्णोद्धार कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारां0–76 / 2019 3983 / राँची, दिनांक–23/07/19

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–..... दिनांक–..... के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/19
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(125)

श्री दशरथ गागराई, स० वि० स० के द्वारा दिनांक– 25.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क0–05 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम जिला के खुँटपानी प्रखण्ड के बड़ाचीरू में मेसो ग्रामीण अस्पताल का संचालन सिटिजन्स फाउन्डेशन, राँची के द्वारा किया जा रहा है?	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त 50 बेड की क्षमता वाले उक्त अस्पताल में केवल ओ०पी०डी० सेवा ही चालू किया गया है?	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त अस्पताल को सम्पूर्ण रूप (ओ०पी०डी० सहित अन्य सेवाओं से युक्त) से संचालित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उक्त अस्पताल में ओ०पी०डी० की सेवा आरम्भ कर दी गई है। ओ०पी०डी० सेवा के अतिरिक्त स्थानीय निवासियों के लिए उक्त अस्पताल में आई० पी० डी० की सेवा प्रारंभ करना भी प्रस्तावित है एवं तत्संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– 03/वि० स० (तारांकित)–06/2019 2502 राँची, दिनांक– 23/7/19

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 1542, दिनांक– 17.07.2019 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.07.19

(एस० के० लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(126)

प्रो0 स्टीफन मराण्डी, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या– म0स0 02 के संबंध में।

तारांकित प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न कमीशनरी स्तर पर वर्ष 1988 में महिला प्रसार पदाधिकारियों की नियुक्ति की गयी थी,	**स्वीकारात्मक,** ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना के ज्ञापांक– 12294, दिनांक– 29.12.1983 के अनुसार महिला प्रसार पदाधिकारियों का पद अस्थायी है।
2. क्या यह बात सही है कि नियुक्ति की तिथि से लगातार सेवा प्रदान करती आ रही उन महिला प्रसार पदाधिकारियों की सेवा इतने वर्षो के बाद भी नियमित नहीं की गयी है ;	**स्वीकारात्मक,** बिहार विभाजन के समय महिला प्रसार पदाधिकारी के पद का स्वरूप अस्थायी था। अतः इन पदों पर कार्यरत कर्मी सरकारी सेवक नहीं हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं0– 21 दिनांक– 03.02.2011 द्वारा महिला प्रसार पदाधिकारियों को सरकारी सेवक घोषित नहीं करने का निर्णय लिया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि उनकी सेवा नियमित नहीं होने से उन्हें सेवानिवृति लाभ आदि से वंचित रहने का खतरा बना हुआ है ;	**आंशिक स्वीकारात्मक,** कतिपय कर्मियों द्वारा विभागीय कार्यालय आदेश सं0– 21 दिनांक– 03.02.2011 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, राँची में वाद दायर किया गया है, जिसमें दिनांक– 17.08.2017 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या– 1845 दिनांक– 16.05.2018 द्वारा महिला प्रसार पदाधिकारी के सेवाशर्त का निर्धारण किया गया है। जिसके अनुसार इन्हें सेवानिवृत्ति उपरांत ग्रुप बीमा, G.P.F/C.P.F का लाभ अनुमान्य है, जबकि पेंशन तथा उपादान अनुमान्य नहीं है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सेवानिवृत्ति के करीब पहुँच रही उक्त महिला प्रसार पदाधिकारियों की सेवा नियमित करते हुए इनके साथ न्याय करने का विचार रखती है, हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?	महिला प्रसार पदाधिकारी के पद को सरकारी सेवक घोषित किये जाने का मामला माननीय उच्च न्यायालय, राँची में विचाराधीन है, इस वाद के विचाराधीन रहते मामले पर निर्णय लिया जाना समीचीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक– 11– 01– वि0स0 (DRDA)/2019/2659 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक– 22-07-19

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 1537 दिनांक– 17.07.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.07.19
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 11– 01– वि0स0 (DRDA)/2019/ 2659 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक– 22-07-19

प्रतिलिपिः– माननीय स0 वि0 स0, प्रो0 स्टीफन मराण्डी के आप्त सचिव, झारखण्ड/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.07.19
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 11– 01– वि0स0 (DRDA)/2019/ 2659 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक– 22-07-19

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग/अवर सचिव, प्रशाखा– 3, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.07.19
सरकार के अवर सचिव।

(127)

श्री शशि भूषण सामड़, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–02 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री शशि भूषण सामड़, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड बन्दगाँव के पचायत लांडूपदा में नवनिर्मित बिजली ग्रीड को अब तक चालू नहीं किया गया है, जिसके कारण चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड बन्दगाँव एवं चक्रधरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लगे 10 एवं 16 KVA के ट्रांसफार्मर सालों से खराब पड़े हुए हैं, जिन्हें अब तक नहीं बदला गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि 10 एवं 16 KVA के खराब पड़े ट्रांसफार्मरों को बदलने का काम ठेका कंपनी को आवंटित किया गया है। उक्त कंपनी द्वारा खराब ट्रासंफार्मर नहीं बदलने के कारण ग्रामीण क्षेत्र अंधकार में डूबे हैं;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित बिजली ग्रीड को चालु कराने एवं खराब ट्रांसफार्मर बदलने वाली ठेका कम्पनी पर उचित कार्रवाई करने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में नए ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड बंदगांव के लांडूपदा पंचायत में 33/11 के०वी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है एवं विद्युत शक्ति उपकेन्द्र को चालू करने हेतू संबंधित 33 के०वी० लाईन के निर्माण कार्य में 80% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 20% कार्य (लगभग 2–4 कि०मी०) लाईन Row issue के कारण पूर्ण नही किया जा सका है। विभाग के द्वारा कई बार कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रयास किया गया परन्तु स्थानीय विरोध के कारण कार्य बंद है। स्थानीय Row issue को सुलझाने हेतु प्रशासन से मदद माँगा गया है। Row issue को सुलझने के पश्चात् 02 महीनों में लंबित कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। वर्तमान स्थिति में चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के लांडूपदा क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति 33/11 के०वी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, चक्रधरपुर से सामान्य रूप से किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के प्रखण्ड चक्रधरपुर एवं बंदगाँव के वर्णित गाँवों में 10 एवं 16 के०वी०ए० के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। जले हुए 10 एवं 16 के०वी०ए० के ट्रांसफार्मर को 25 के०वी०ए० के नये ट्रांसफार्मर से बदलने का कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। पूर्व में पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कार्य M/s IL&FS को आवंटित था। इसके संतोषप्रद कार्य नहीं होने के कारण उसके कार्य आवंटन को रद्द कर दिया गया एवं नये एजेंसियों का चयन कर, कार्य आवंटन कर दिया गया है। उक्त जले हुए ट्रांसफार्मरों को सितम्बर 2019 तक बदलने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :– 1859/ राँची, दिनांक :– 24/7/19

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/19

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

D:\Vihan Sabha (Question & Answer)\2019\Manson Session\Tarankit parsan.docx

(128)

श्री शिवशंकर उराँव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-25.07.19 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-06 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता- श्री शिवशंकर उराँव, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण हेतु पुराने सरकारी एवं निजी तालाबों का जीर्णोद्धार हेतु व्यापक योजना चलाया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस निमित राज्य सरकार के विभागीय बजट में विशेष प्रावधान के साथ जीर्णोद्धार योजना का शुभारम्भ किया गया;	राज्य सरकार की विभागीय बजट में बंजर भूमि/राईस फैलो के रूप में विनिर्दिष्ट (Specified) योजना कार्यान्वित की जा रही है।
3	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में राज्य के पाँच सौ से अधिक ऐसे तालाबों का जीर्णोद्धार का कार्य प्रारम्भ किया गया था, ताकि वर्षा जल का संचयन हो और भू-जल स्तर को उपर लाया जा सके;	स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि ऐसे तालाबों के निर्माण हेतु तालाब के अगल-बगल में मौजूद भू-धारी किसानों का लाभुक समिति बनाकर उक्त लाभुक समिति द्वारा कार्य कराया जाना (सुनिश्चित हुआ) था;	योजना का कार्यान्वयन पानी पंचायत के माध्यम से कराया जाता है।
5	क्या यह बात सही है कि ऐसे लाभुक समिति के संयुक्त खाते में योजना की राशि आंतरित की जानी थी और कार्य होना था;	वास्तविक कार्य के अनुरूप, मापी पुस्तिका में दर्ज करते हुए तैयार विपत्र के आधार पर संबंधित पानी पंचायत के बैंक खाता में राशि हस्तांतरित किया जाता है।
6	क्या यह बात सही है कि तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो जाने के बाद भी किसानों के लाभुक समिति को राशि आंतरित नहीं की गयी। जिसके कारण किसान घोर लेनदारी (ऋण) में फंसे हुए हैं और कार्यकारियों को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं;	वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के समाप्ति माह मार्च तक वास्तविक कार्य के विरूद्ध मापी पुस्तिका में दर्ज मापी एवं तदनुसार तैयार विपत्र के आधार पर संबंधित पानी पंचायत के खाता में राशि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हस्तांतरित की गयी है। वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरांत संबंधित पानी पंचायत द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने अथवा अपूर्ण/अधूरा कार्य के कार्यान्वयन एवं भुगतान हेतु निदेशक समेति, राँची के पी0 एल0 खाता में राशि हस्तांतरित की गयी है। समेति के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त मापी पुस्तिका एवं विपत्र के आधार पर पी0 एल0 खाता से सीधे संबंधित पानी पंचायत के बैंक खाता में RTGS के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाती है। जिस-जिस जिला के द्वारा विपत्र समेति कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, उनके लाभान्वित पानी पंचायत के खाता में राशि हस्तांतरित की जा रही है या राशि हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।

7	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे लाभुक किसानों को हित में राशि भुगतान कराकर किसानों को उऋण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–37/2019 1770 **कृ0, राँची, दिनांक**– 23-07-19

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1485 दिनांक–16.07.2019 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.07.19

(चन्द्र भूषण)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–37/2019 1770 **कृ0, राँची, दिनांक**– 23-07-19

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.07.19

सरकार के अवर सचिव।

129

श्री नलिन सोरेन, स०वि०स० द्वारा दिनांक–25-07-19 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ज०–08 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका द्वारा ई0 टेन्डरिंग Re/No.-WRD/MID/ DUMKA/F2-04/2018-19 दिनांक–14.02.2019 का जून 2019 में झींगरी जोरीया पथरगडड़ा जोरिया, दरका जोरिया, जोड़ा सिमल जोरिया, बीयापाथर जोरिया में चेकडैम निर्माण हेतु निविंदा निष्पादित किया गया है।	स्वीकारात्मक दरका जोरिया, डेलीपाथर जोरिया, जोजोगढ़ा/ जोरा सिमल जोरिया, पथरगढ़ा जोरिया एंव झुमरीजोरिया में चेकडैम निर्माण हेतु निविदा निष्पादित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त निविदा निष्पादन में विभागीय पदाधिकारी द्वारा योजना के नियम व शर्त्तो को ताक पर रख मनमाने तरीके से निविदा निष्पादित किया है,	विषयगत् मामले की जाँच की जाएगी।
3	क्या यह बात सही है कि योजना के ग्रुप संख्या–02 में टेकनिकल पेपर के नियम व शर्तो के तहत् 3 या 5 वर्षो के लिए एफ0डी0 मांगा गया था, लेकिन 1 वर्ष के एफ0डी0 के आधार पर कार्य आबंटित कर दिया गया, इसी तरह अन्य निविदा में लेबर लाईसेंस के स्थान पर मजदुरी भुगतान के प्रमाण पत्र के आधार पर पदाधिकारियों द्वारा कार्य आबंटित किया गया है,	
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या उपरोक्त सभी निष्पादित निविदा रदद् कर उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी पदाधिकारियों को दंडित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?	

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां0–74/2019 3985 / राँची, दिनांक– 23/07/19

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–1538 दिनांक–17.07.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/19
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(130)

श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–07 का उत्तर।

क०सं०	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स०	श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अन्तर्गत ठाकुरगंगटी प्रखण्ड के ग्राम–खरखोदिया में आठ वर्ष पूर्व डेयरी फार्म निर्माण हेतु चाहरदिवारी का निर्माण कराया गया था परन्तु डेयरी फार्म निर्माण हेतु वहाँ सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई,	आंशिक स्वीकारात्मक। केन्द्र प्रायोजित सघन गव्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकार, कृषि मंत्रालय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, नई दिल्ली के द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि में गोड्डा जिला में सघन गव्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 10,000 लीटर के क्षमता के डेयरी प्लांट की स्थापना तथा दूध उत्पादन, संग्रहण, विधायन तथा विपणन संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजना अन्तर्गत गोड्डा जिला के ठाकुरगंगटी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम खरखोदिया में डेयरी की स्थापना हेतु चाहारदिवारी का निर्माण कराया गया। राज्य में गव्य विकास कार्यक्रमों के सुचारू संचालन हेतु नवगठित झारखण्ड राज्य दूध उत्पादक सहकारी महासंघ का गठन एवं निबंधन उपरांत इसका प्रबंधन भार नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को सौंपा गया। राज्य सरकार एवं एन०डी०डी०बी० के बीच हस्ताक्षरित मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैन्डिंग (एम०ओ०यू०) में निहित प्रावधानों के आलोक में एम०ओ०यू० की अवधि में झारखण्ड मिल्क फेडरेशन की सहमति के बिना राज्य में दूध संग्रहण, प्रोसेसिंग तथा प्रशीतन इकाई की स्थापना नहीं किया जाना है।
02	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि चाहारदिवारी निर्माण कराने के बाद किन कारणों से डेयरी फार्म निर्माण हेतु कार्रवाई नहीं हुई, एवं इस योजना को पूर्ण कराने हेतु सरकार कौन सी कार्रवाई करेंगी एवं कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस संदर्भ में झारखण्ड मिल्क फेडरेशन को केन्द्र प्रायोजित सघन डेरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गोड्डा जिला में स्वीकृत परियोजना का मध्यावधि संशोधन प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि योजनाओं को पूर्ण किया जा सके। झारखण्ड मिल्क फेडरेशन से अभी तक प्रस्ताव अप्राप्त है। वर्तमान में गोड्डा जिला के पोटेंशियल क्षेत्रों में झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा दूध संगहण प्रणाली स्थापना एवं संचालन तथा दूध प्रशीतन संयत्र (बल्क मिल्क कूलर) की स्थापना की गई है जिसके अन्तर्गत गोड्डा एवं पसई में 02 दूध प्रशीतन संयत्र (बल्क मिल्क कूलर) तथा 23 दूध संगहण केन्द्रों से संबद्ध 723 दुग्ध उत्पादक सदस्यों से प्रतिदिन 3,500 लीटर दूध संग्रहित करते हुए शीतकृत दूध देवघर डेयरी को प्रोसेसिंग हेतु भेजा जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में गोड्डा एवं जरमुंडी (दुमका) में 50,000 लीटर क्षमता के डेयरी प्लांट तथा जसीडीह (देवघर) में 2 लाख लीटर क्षमता के डेयरी प्लांट एवं मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तथा बेंचमार्क सर्वे प्रतिवेदन झारखण्ड मिल्क फेडरेशन से प्राप्त किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक– 6/वि०स०(तारांकित)–32/2019 प०पा०/ 993 /राँची, दिनांक 23/7/2019

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1484/वि०स०, राँची, दिनांक–16.07.2019 के आलोक में उत्तर की कुल 200 चक्रचालित प्रतियाँ/अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/07/19

सरकार के अवर सचिव

(131)

झारखण्ड सरकार

खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(माप एवं तौल)

कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक सह नियंत्रक,माप एवं तौल,झारखण्ड,राँची।

दिनांक 25.07.19 को पूछा जाने वाना तारांकित प्रश्न सं0–कृष–05 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्रीमती विमला प्रधान
स0वि0स0

उत्तरदाता
श्री सरयु राय
मंत्री
खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1)क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में विभिन्न पदार्थो की वजन जाँच हेतु सही माप तौल के लिए माप तौल विभाग कार्यरत है ?	स्वीकारात्मक
(2)क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में माप तौल पदाधिकारी की पदस्थापना नही है, जिसके कारण आम जनता को सही वजन में पदार्थ नहीं मिलते है और वे ठगे जा रहें है ?	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। माप तौल प्रभाग में निरीक्षक,माप एवं तौल के 37 पद स्वीकृत है,जिसके विरुद्ध सिर्फ 8 निरीक्षक, माप एवं तौल कार्यरत है।जो राँची,गुमला, पलामू, जमशेदपुर,हजारीवाग,धनबाद,दुमका एवं पाकुड़ जिलों में पदस्थापित है शेष अन्य 16 जिलों का अतिरिक्त प्रभार इन्हीं 8 निरीक्षकों को दिया गया है। इसके बाबजूद आम जनता को सही वजन में पदार्थ मिले और वे ठगे नहीं जाय इसके लिए संबंधित निरीक्षक,माप एवं तौल तत्परता से अपना कर्तव्य निर्वहन करते आ रहे है।
(3)यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में माप तौल पदाधिकारी की पदस्थापना करना चाहती है, हाँ तो कब तक,नही तो क्यों ?	निरीक्षक,माप एवं तौल के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है। सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,झारखण्ड के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चूकी है।झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निरीक्षक माप एवं तौल के पद पर सीधी नियुक्ति करने के उपरांत झारखण्ड सरकार सभी जिलों में निरीक्षक माप एवं तौल को पदस्थापित करना चाहती है।

ह0/–
(थॉमस डुगडुग)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा0प्र0 06–08(वि0स0)27/2019 2189 /राँची,दिनांक 23/07/19
प्रतिलिपि– उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा सचिवालय,राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1377 दिनांक 19.07.19 कम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(132)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 25.07.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– खा०–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अरूप चटर्जी,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि, धनबाद जिला के नब्बे हजार लोग अपने राशन कार्ड में अपने–अपने परिवारवालों के नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किए हुए है साथ ही और अठारह हजार लोग नये राशन कार्ड बनाने के लिए भी आवेदन किए हुए है, जिन पर कार्रवाई पिछले दो वर्षों से लंबित है;	स्वीकारात्मक। धनबाद जिला में 1,36,000 सदस्य जोड़ने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त है जिसके आलोक में 20,348 सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जोड़ा गया है। वर्तमान में भी प्रखण्ड स्तर पर 93,662 एवं जिला स्तर पर 21,412 सदस्यों का नाम रिक्ति की प्रत्याशा में लंबित है। साथ ही इस जिले में 73,772 नये ऑनलाईन आवेदन राशन कार्ड हेतु प्राप्त है जिसके आलोक में 36,523 नये राशन कार्ड का निर्माण किया गया है। वर्तमान में भी प्रखण्ड स्तर पर 27,659 एवं जिला स्तर पर 8,063 नये राशन कार्ड हेतु ऑनलाईन आवेदन रिक्ति की प्रत्याशा में लंबित है।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार धनबाद जिला के उक्त लंबित आवेदनों पर अविलम्ब अपेक्षित कार्रवाई कर निष्पादित करने का विचार रखती हैं, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत धनबाद जिला अन्तर्गत लाभुकों को आच्छादित किये जाने का अधिकतम लक्ष्य 18,71,630 है जिसके विरूद्ध में वर्तमान में 18,69,443 सदस्य को अधिनियम के तहत आच्छादित किया जा चुका है। इस प्रकार धनबाद जिला में अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले लाभुकों की वर्तमान रिक्तियाँ 2,187 है जो कि प्राप्त नये आवेदनों की तुलना में कम है। ऐसी स्थिति में अयोग्य राशन कार्ड को चिन्हित कर रद्द करने के उपरान्त रिक्ति बनाये जाने की कार्रवाई की जा रही है ताकि नये राशन कार्ड का निर्माण एवं सदस्यों का नाम जोड़ने की कार्रवाई की जा सके।

ह0/–
(थॉमस डुंगडुंग),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 24/2019– 2145 /राँची, दिनांक 22/07/19

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1367/वि०स०, दिनांक 13.07.2019 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

133

श्री सुखदेव भगत, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा जिले के अन्तर्गत किस्को प्रखण्ड में स्थित डहरबाटी नाला में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016–17 में डैम बनाने का निर्णय लिया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि डहरबाटी नाला में डैम का निर्माण कराने हेतु सामाजिक अंकेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि इस डैम के निर्माण होने से किस्को एवं कुडू प्रखंड के भूमि सिंचित होगा;	आंशिक स्वीकारात्मक। इस योजना से किस्को प्रखण्ड अन्तर्गत काशीडीह, नावाडीह, नदीटोली, होदाग, नवाटोली, नारीगाँव, कुमाटोली ग्रामों में कुल 900 हे० में सिंचाई सुविधा दी जा सकेगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार डहरबाटी नाला में डैम का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजना की प्रशासनिक स्वीकृति रू० 4796.00 लाख के लिये प्रदत् है। योजना स्थल सुरक्षित वन क्षेत्र में अवस्थित रहने के कारण योजना अन्तर्गत पड़ने वाले वन भूमि के अपयोजन हेतु कार्रवाई की जा रही है। वन भूमि अपयोजन के उपरान्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–75/2019 – 3987 **/राँची, दिनांक** 23/07/19

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1565 वि०स० दिनांक 18.07.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/19

(प्रदीप कुमार)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

134

श्री योगेश्वर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–10 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री योगेश्वर महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के जरीडीह प्रखण्ड के अन्तर्गत पाथुरिया विद्युत सब–स्टेशन का शिलान्यास वर्ष 1999 एवं वर्ष 2013 में किया गया मगर आजतक इसका निर्माण नहीं हो पाया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि जैनामोड़ से ग्रामीण क्षेत्र अराजू, भस्की जैसे पंचायतों की दूरी 40–45 कि०मी० होने के कारण ट्रांसमिशन क्षति के कारण पर्याप्त बिजली ग्रामीणों को नहीं मिल पाती है;	अस्वीकारात्मक। ग्राम अराजू, भस्की के नजदीक लगभग 08 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम खुदीबेड़ा में 33/11 के०भी० क्षमता के पावर सब–स्टेशन का निर्माण किया गया है। उक्त के पश्चात् उपरोक्त पंचायतों में विद्युत उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली मिल रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या सरकार विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण अविलंब कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पथुरिया में 33/11 के०भी० क्षमता के पावर सब–स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। कंट्रोल रूम एवं बाउण्ड्री वाल का काम पूरा कर लिया गया है। पोल गाड़ने का काम किया जा रहा है। इसे नवम्बर 2019 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :– 1836/ राँची, दिनांक :– 23/7/19

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/19

सरकार के अवर सचिव।

(135)

श्री लक्ष्मण टुडू, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–का–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के जिलों में चौकीदार एवं दफादार का पद जिला रोस्टर के अनुसार अभी भी स्वीकृत पदों की अपेक्षा रिक्त है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में चौकीदार एवं दफादार से बिना उनकी नियुक्ति के ही उनसे अवैतनिक कार्य लिया जा रही है ;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में चौकीदार एवं दफादार से अवैतनिक कार्य लिये जाने का राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश निर्गत नही किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिला रोस्टर के अनुसार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, ही तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–1325, दिनांक–08.03.2019 द्वारा चौकीदार के रिक्त पदों के विरूद्ध नियमानुसार विज्ञापन प्रकाशित करते हुए नियुक्ति करने हेतु सभी उपायुक्त को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–17 / वि०स०–02 / 2019–3874 / राँची, दिनांक–24/07/19 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1564, दिनांक–18.07.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/07/19

सरकार के अपर सचिव।

(136)

श्री राज सिन्हा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–14 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद के गोविन्दपुर कांड्रा में 100 मेगावाट का ग्रिड बनकर 2017 से तैयार है;	स्वीकारात्मक।
2 क्या यह बात सही है कि आज तक यह ग्रिड चालू नहीं किया जा सका है, जिससे धनबाद के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार उक्त ग्रिड को चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	धनबाद के गोविन्दपुर कांड्रा में स्थित 220/132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन को 220 के०वी० संचरण लाईनों द्वारा दुमका एवं टी०टी०पी०एस० से जोड़ा जाना है। 220 के०वी० गोविन्दपुर-दुमका संचरण लाईन का वन विभाग द्वारा पेड़ कटाई की अनुमति लंबित है। वन विभाग से अनुमति प्राप्त होते ही शेष बचे निर्माण कार्य को पूरा कर माह जुलाई 2019 में ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य है। 220 के०वी० टी०टी०पी०एस-गोविन्दपुर संचरण लाईन का वन विभाग से अनुमति प्राप्त हो गया है। इस संचरण लाईन का शेष कार्य त्वरित गति से पूरा कर माह सितम्बर 2019 में ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :-.....1858...../ राँची, दिनांक :-.24/7/19/

प्रतिलिपि - अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

D:\Vihan Sabha (Question & Answer)\2019\Manson Session\Tarankit parsan.docx

श्री शशि भूषण सामाड, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पुलिस महानिरीक्षक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशामक सेवा, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1106, दिनांक–05.07.2017 के आलोक में पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर अनुमण्डल में अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने हेतु 1.5 एकड़ का भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए विभागीय पत्रांक–4589, दिनांक–04.08.2017 द्वारा उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को अधियाचना भेजी गई है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अब तक चक्रधरपुर अनुमण्डल में अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूखण्ड प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा पत्रांक–61(A)/रा०, दिनांक–21.04.2018 के माध्यम से 1.14.784 एकड़ भूखण्ड, अग्निशामालय निर्माण हेतु निःशुल्क हस्तांतरित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चक्रधरपुर अनुमण्डल में उपर्युक्त भूखण्ड चिहिन्त कर अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अग्निशामालय भवन के निर्माण हेतु DPR गठन की कार्रवाई की जा रही है। DPR गठन के पश्चात आगामी वित्तीय वर्ष में प्रयाप्त बजटीय उपवंध होने पर इस योजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जायगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05 / वि०स०–07 / 06 / 2019–3878 / राँची, दिनांक–24/07/19 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1560, दिनांक–18.07.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/07/19
सरकार के अपर सचिव।

अग्निशमन सेवा मुख्यालय
झारखण्ड, राँची
03 MAY 2018
पत्र प्राप्ति संख्या 1371 पत्रांक :

02 MAY 2018

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक R-600/C /रा०

प्रेषक,
जिला–दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त।
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,
महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, पो० हिनू, राँची।

चाईबासा, दिनांक :–

विषय :– पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर अंचलान्तर्गत मौजा–वार्ड न0 09, थाना संख्या–68, खाता संख्या–225, प्लॉट संख्या– 275, 276, 277, 278, 279 रकवा क्रमशः 0.23.875, 0.09.00, 0.10.00, 0.50.125 एवं 0.21.784 एकड़, कुल रकवा 1.14.784 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार किस्म जमीन परती भूमि अग्निशामालय–सह–आवासीय भवन की स्थापना हेतु गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को निःशुल्क भूमि हस्तांतरण के संबंध में।

आदेश :– संबंधित विषयक संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–4/स०भू० नीति–163/2016– 5504/रा० दिनांक 07.10.2016 के अंतर्गत निम्न शर्त्तों के साथ स्वीकृति दी जाती है :–

क. इस शर्त्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तांतरित की जा रही है, उस प्रयोजन हेतु उसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रयोजन हेतु उसका उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।

ख. विभाग द्वारा उक्त हस्तांतरित भूमि किसी भी संस्था/निजी व्यक्ति/कॉरपोरेट सोसाईटी/ कंपनी/अन्य किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरण अथवा लीज पर नही दिया जायगा।

ग. अन्य सभी शर्त्ते इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरुप लागू होगीं।

ह० –
जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक : ____/____/रा0, दिनांक

प्रतिलिपि : 1. अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर को उनके पत्रांक 117/रा0, दिनांक 22.03.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। विषय से संबंधित अभिलेख संख्या 04/2017–18 इसके साथ संलग्न कर मूल रूप में वापस किया जाता है।

ह०
जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक : 61(A)/रा0, दिनांक 21.04.18

प्रतिलिपि : 1. सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–5504/रा0 दिनांक–07.10.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2. महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक– 1150, दिनांक– 01.07.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

3. आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा को सादर सूचनार्थ समर्पित्।

4. सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित्।

5. प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित्।

21/4/18
जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(138)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय सं0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि 1950 से अविभजित बिहार में लोहार जाति अनुसूचित जनजाति की सूची के भाग–3 में शामिल थी;	अस्वीकारात्मक।
02.	क्या यह बात सही है कि दिनांक–25 अगस्त, 2000 के बाद नव सृजित झारखण्ड प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची में लोहार जाति नामित नहीं है, जबकि बिहार की संशोधित सूची में लोहार जाति यथावत है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
03.	क्या यह बात सही है कि संशोधन के अनुसार (अनुसूचित जनजातियाँ) सूची के क्रमांक–21 पर लोहरा/लोहार दोनों अंकित होना चाहिए था, झारखण्ड प्रदेश में लोहरा जाति नाम दर्ज है,जिसके कारण लोहार जाति सरकारी सुविधा से वंचित हो रहे है;	अस्वीकारात्मक।
04.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहार की तरह झारखण्ड प्रदेश में भी लोहरा के साथ लोहार जाति का नाम अनुसूचित जनजाति की सूची में नामित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में लोहार जाति राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–120 पर सूचीबद्ध है। डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची ने अपने पत्रांक–381, दिनांक–03.08.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि लोहार जाति में वह विशेषताएं नहीं हैं, जो अनुसूचित जनजातियों में निहित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सिविल अपील सं0–एस0 एल0 पी0–2688 (सी.) नं0 ऑफ 1996/1569 ऑफ 1994 के फैसले में लोहार जाति को अन्य पिछड़ी जाति के रुप में माना है। डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची के द्वारा प्रतिवेदित है कि उक्त परिप्रेक्ष्य में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–26/2019 का०–5898 /रांची, दिनांक 24/07/2019

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप सख्या–1563/वि0स0, दिनांक–18.07.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/19
(दीपक कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री अशोक कुमार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 25.07.2019 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–म०स०–01 का उत्तर :–

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के महगामा, मेहरमा एवं ठाकुरगंगटी प्रखंड अन्तर्गत संचालित हो रहे सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण सखी की नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2016 से चल रही है, परन्तु अभी पूर्ण नहीं हुआ है ,	स्वीकारात्मक। गोड्डा जिला के महागामा, मेहरमा एवं ठाकुरगंगटी प्रखंड अन्तर्गत संचालित हो रहे सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण सखी की नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष – 2016 से चल रही है। (क) महगामा प्रखंड में कुल – 268 स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र है। प्रखंड द्वारा 259 केन्द्रों की सूची अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ था, जिसमें से 228 केन्द्र का अनुमोदन किया जा चुका है। 31 केन्द्रों में ग्राम सभा की कार्रवाई पूर्ण कर ली गयी है एवं दावा आपत्ति दिनांक– 29.07.2019 तक मांग की गयी है। शेष 09 केन्द्रों में ग्राम सभा में आवेदिका नहीं मिलने/चयन पश्चात् चयन रद्द होने के फलस्वरुप पुनः ग्राम सभा की तिथि दिनांक– 13.08.2019 से 16.08.2019 तक निर्धारित की गयी है। (ख) मेहरमा प्रखंड में कुल 222 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है, जिसमें से 127 को अनुमोदन किया जा चुका है। 19 आंगनबाड़ी केन्द्रों में दावा आपत्ति का निराकरण/जाँच हेतु तिथि निर्धारित की गयी है। शेष 76 केन्द्रों में पूर्व में ग्राम सभा आयोजित की गयी थी, लेकिन विवाद/त्रुटिपूर्ण रहने के कारण ग्राम सभा को रद्द कर पुनः ग्राम सभा की तिथि दिनांक– 13.08.2019 से 16.08.2019 तक निर्धारित की गयी है। (ग) ठाकुरगंगटी प्रखंड में कुल 146 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। जिसमें से 136 केन्द्रों का अनुमोदन हो चुका है। शेष 10 केन्द्रों में पूर्व में ग्राम सभा आयोजित की गयी थी, लेकिन विवाद/त्रुटिपूर्ण रहने के कारण ग्राम सभा को रद्द कर पुनः ग्राम सभा की तिथि दिनांक– 13.08.2019 से 16.08.2019 तक निर्धारित की गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि पोषण सखी का चयन हेतु मेहरमा प्रखंड अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र बासकीकित्ता–03 में दिनांक–04.07.2016 को एवं आंगनबाड़ी केन्द्र बरारी–03 में दिनांक–16.07.2016 ग्राम सभा हुई थी, जिसमें पोषण सखी का चयन कर अनुमोदन हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मेहरमा द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा को संचिका	स्वीकारात्मक। मेहरमा प्रखंड अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र–बासकीकित्ता–03 में दिनांक– 04.07.2016 को एवं आंगनबाड़ी केन्द्र–बरारी–03 में दिनांक–16.07.2016 को ग्राम सभा हुई थी। उक्त दोनों केन्द्रों का पोषण सखी का अनुमोदन कर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मेहरमा को हस्तगत करा दिया गया है।

	भेजी गई थी, जिसका आज तक अनुमोदन नहीं हुआ है ,	
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित केन्द्रों के साथ–साथ कई अन्य केन्द्रों के चयनित पोषण सखी का अनुमोदन अनावश्यक रुप से रोक कर रखा गया है और यदि वैसे अभ्यर्थी पर कोई आपत्ति दर्ज हुई थी, तो तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी आपत्ति का निष्पादन अभी तक नहीं किया गया है,	विभिन्न प्रखंडों में ग्राम सभा की अलग–अलग तिथियाँ निर्धारित थी। ग्राम सभाओं से अनुमोदन उपरान्त प्राप्त पोषण सखी की सूची पर दावा/आपत्ति प्राप्त कर लिया गया है एवं त्रुटिपूर्ण विवाद वाले ग्राम सभाओं को रद्द करते हुए पुनः ग्राम सभा करायी गयी, जिसके कारण पोषण सखी चयन में विलम्ब हुआ। पूरे जिला का पोषण सखी बहाली से संबंधित तालिका निम्न प्रकार है :–

प्रखंड का नाम	कुल स्वीकृत पद	ग्रामसभा द्वारा प्राप्त	जिला द्वारा अनुमोदित	प्रखंड में लंबित	दावा/आपत्ति	विवाद/त्रुटिपूर्ण ग्रामसभा के कारण लंबित
महागामा	268	259	228	00	31	09
मेहरमा	222	137	127	00	19	76
ठाकुरगंगटी	146	146	136	00	07	03
गोड्डा	280	273	258	03	12	07
पोड़ैयाहाट	285	284	273	00	04	08
पथरगामा	153	151	148	00	03	02
बसंतराय	118	117	100	00	13	05
बोआरीजोर	195	162	154	00	19	22
सुन्दरपहाड़ी	124	123	82	40	00	02
कुल	**1791**	**1652**	**1506**	**43**	**108**	**134**

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त वर्णित आंगनबाड़ी केन्द्रों के चयनित अन्य सभी पोषण सखी को अविलम्ब नियुक्ति पत्र दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। विवाद/त्रुटिपूर्ण ग्राम सभा की कार्रवाई के कारण कुल 285 पोषण सखी का चयन लंबित है, जिसमें से 110 पोषण सखी के चयन हेतु ग्राम सभा की तिथि की घोषणा कर दी गयी है। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 02 माह के अंदर सभी केन्द्रों पर पोषण सखी का चयन कर लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक — 03/म0स0/वि०स०/तारांकित प्रश्न–185/2019 –1712 राँची, दिनांक : 24-07- 2019

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0– 1482/वि0स0, दिनांक–16.07.2019 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/07/2019
(लालू कच्छप)
सरकार के संयुक्त सचिव।

140

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–05 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री जगरनाथ महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत चन्द्रपुरा प्रखण्ड के तारानारी में विद्युत सब स्टेशन निर्माण हेतु सरकार से स्वीकृति वर्ष 2015 में मिली है, जिसे 2017 तक पूरा कर देना था;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य अतिसुस्त गति से हो रहा है तथा ससमय आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या सरकार यथाशीघ्र आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हुए निर्माण कार्य मे तीव्रता लाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	निर्माणाधीन PSS तारानारी का Control Room तैयार है। PSS में उपस्कर लगाया जा रहा है। लाईन हेतु पोल गाड़ने का कार्य प्रगति पर है। इसे नवम्बर 2019 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :– 1813 / राँची, दिनांक :– 20/7/19

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/19
सरकार के अवर सचिव।

(141)

श्री फूलचन्द मंडल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–03 का प्रश्नोत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री फूलचन्द मंडल, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभागः–

क्र०	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के बलियापुर एवं गोविन्दपुर प्रखण्ड के ग्रामीण मुख्यतः कृषि कार्य पर निर्भर है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि किसानों द्वारा उपजाये गये अनाज व फल–सब्जी के भंडारण और उचित रख–रखाव को लेकर बलियापुर तथा गोविन्दपुर में कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम और गोदाम नहीं है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। बलियापुर प्रखण्ड अन्तर्गत फल व सब्जी के भण्डारण के लिए सरकारी स्तर पर कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। सहकारिता विभाग अन्तर्गत विभिन्न पैक्सों एवं व्यापार मण्डलों में कुल 12 गोदाम निर्मित है। गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत बरवड्डा में फल व सब्जी के भण्डारण के लिए एक निजी कोल्ड स्टोरेज कार्यरत है परन्तु सरकारी स्तर पर कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। सहकारिता विभाग अन्तर्गत विभिन्न पैक्सों एवं व्यापार मण्डलों में कुल 11 गोदाम निर्मित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्डों में कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम और गोदाम का निर्माण करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत धनबाद जिले के गोविन्दपुर प्रखण्ड के गोविन्दपुर पैक्स में कोल्ड रूम निर्माण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बलियापुर प्रखण्ड के पलागी पैक्स में कोल्ड रूम निर्माण की योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजनान्तर्गत लैम्पस–पैक्स में कार्यालय–सह–गोदाम निर्माण योजनान्तर्गत धनबाद जिले के गोविन्दपुर प्रखण्ड के परासी पैक्स, बरियो पैक्स एवं गोड़तोपा पैक्स में गोदाम निर्माण कराया जा रहा है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में 5000 एम0टी0क्षमता के 01–01 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी जिलों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाना है।

ह0/–
(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–03/बजट सह0 (वि0स0)–24/2019 1329 /राँची, दिनांक– 24/07/2019.

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं0प्र0 1379 वि0स0 दिनांक 14.07.2019 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.07.19
सरकार के अवर सचिव।

(142)

श्री चम्पाई सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावा जिलान्तर्गत राजनगर, सरायकेला तथा गम्हरिया प्रखण्ड होकर खरकई नदी गुजरती है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित नदी पर बराज/लिफ्ट एरीगेशन नहीं होने के कारण स्थानीय कृषक सिंचाई सुविधा से वंचित है तथा हजारों एकड़ जमीन में खेती नहीं हो पा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित नदी पर विभिन्न जगहों जटा, मेढ़की, जोरडीहा, दुलमुसाई, मुडकुम, सामरम, नुवागढ़ तथा ईटागढ़ में बराज/लिफ्ट एरीगेशन का निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्णित खण्ड–2 के समाधान हेतु ग्राम–गंजिया में खरकई नदी पर बराज निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इसके दोनों तरफ एफलक्स बाँध का निर्माण कार्य प्रगति पर है। खरकई बराज से निःसृत खरकई दाँया मुख्य नहर का कार्य प्रगति में है, जिसके पूर्ण होने से प्रश्न अन्तर्गत जटा, मेढ़की, जोरडीहा, सामरम, नुवागढ़ तथा ईटागढ़ इत्यादि गाँवों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी एवं खरकई बाँयी मुख्य नहर का कार्य प्रस्तावित है, जिससे मुड़कुम तथा दुलुमटांड़ इत्यादि गाँवों में सिंचाई दी जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–77/2019 – 3990 /राँची, दिनांक 23/07/19

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1567 वि०स० दिनांक 18.07.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, ईचा–गालूडीह कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/19

(प्रदीप कुमार)
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

143

श्रीमती निर्मला देवी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बड़कागॉव एस०डी०पी०ओ० अनिल कुमार सिंह पर जे०सी०बी० मशीन और नौ हाइवा में गलत ढ़ग से बालू लोड कर छः लाख रूपये वसूलने का आरोप 2 मार्च, 2019 को एस०पी० एवं डी०आई०जी० से शिकायत दीपू नायक द्वारा गिया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि श्री दीपू नायक द्वारा की गई शिकायत के 4.5 माह बीत जाने के बावजूद भी एस०डी०पी०ओ० श्री सिंह के विरूद्ध किसी भी तरह की कानूनी/विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ नहीं हुई है ;	शिकायत की जाँच पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग से करायी गयी। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में शिकायतकर्त्ता द्वारा लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए है। तदनुसार कानूनी/विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब श्री अनिल कुमार सिंह एस०डी०पी०ओ० के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–14/वि०स० (मानसून सत्र)–01/2019–3879/ राँची, दिनांक–24/07/19 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1535, दिनांक–17.07.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/19
सरकार के अपर सचिव।

145

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–06 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के प्रखण्ड रमुना अन्तर्गत ग्राम भागोडीह में सुपर पावर ग्रिड निर्माण का शिलान्यास अगस्त माह 2017 में किया गया था, जो बनकर तैयार है;	स्वीकारात्मक।
2 क्या यह बात सही है कि सुपर पावर ग्रिड से संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि शिलान्यास के तारीख से एक वर्ष बाद सुपर पावर ग्रिड को चालू कर दिया जायेगा,	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि पावर ग्रिड चालू नहीं होने के चलते बिजली की घोर समस्या उत्पन्न हो गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार बनकर तैयार सुपर पावर ग्रिड को चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	गढ़वा जिले के प्रखण्ड रमुना अन्तर्गत ग्राम भागोडीह में 220/132 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। 220 के०वी० डाल्टेनगंज-गढ़वा संचरण लाईन द्वारा इस ग्रिड को डाल्टेनगंज-गढ़वा संचरण लाईन द्वारा इस ग्रिड को डाल्टेनगंज के PGCIL के ग्रिड से जोड़ा जाना है। निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे अक्टुबर 2019 में पूरा कर ग्रिड को चालू कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :- 1842 / राँची, दिनांक :- 23/7/19

प्रतिलिपि - अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/19

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(146)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–15 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०रा०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के रातू प्रखण्ड अन्तर्गत शिव नगर, केशव नगर, आस्थापुरम, एतवार बाजार कॉलोनी तथा खलारी प्रखण्ड के चतराधौड़ा, गुलजारबाग, लम्बाधौड़ा एवं बुड़मू प्रखण्ड के चकमे पंचायत के कुछ टोलों में विद्युतीकरण नहीं हो सका है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त गाँवों में विद्युत आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो, क्या सरकार उपर्युक्त गाँवों में विद्युतीकरण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	रातू प्रखण्ड के अन्तर्गत शिवनगर, केशवनगर, एतवार बाजार कॉलोनी को पूर्ण विद्युतीकृत किया जा चुका है। आस्थापुरम में चार ट्रांसफार्मर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत लगाना है, जिसमे तीन ट्रांसफार्मर लगाया जा चुका है, बाकी बचा एक ट्रांसफार्मर 30 जुलाई 2019 तक लगा लिया जायेगा। खलारी प्रखण्ड के चतराधौड़ा, गुलजारबाग, लुम्बाधौड़ा गाँव मे सीसीएल के द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है। बुड़मू प्रखण्ड के चकमे पंचायत के सभी टोलों को पूर्ण विद्युतीकृत किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :– 1835 राँची, दिनांक :– 23/7/19

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/19

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

147

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-25.07.19 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-04 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के खलारी प्रखण्ड अन्तर्गत मैक्लुस्कीगंज में फलदार वृक्षों के सैकड़ों बगीचे हैं, जिनका समुचित देखभाल एवं रख-रखाव जरूरी है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज का भूमि फलदार वृक्षों के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त बगीचों एवं कृषि कार्य के लिए उच्च तकनीकी पौधा संरक्षण केन्द्र निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस तरह की कोई योजना वर्त्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(ता0)-36/2019 1799 **कृ0, राँची, दिनांक-** 24.07.19

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-1378 दिनांक-14.07.2019 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.07.19

(चन्द्र भूषण)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(ता0)-36/2019 1799 **कृ0, राँची, दिनांक-** 24.07.19

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.07.19

सरकार के अवर सचिव।

(148)

श्री नागेन्द्र महतो, स० वि० स० द्वारा दिनांक– 25.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–क०–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि बगोदर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत अलगडीहा पंचायत के बालक ग्राम में आदिम जनजातियों के लिए आवासीय भवन का निर्माण कराया गया है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित आवासीय भवन के 25 कि०मी० तक दूरी में एक भी आदिम जनजाति नहीं है, जिसके कारण उक्त भवन का कोई औचित्य नहीं रह गया है,	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक–1211, दिनांक–20.07.19 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बगोदर प्रखण्ड के अन्तर्गत पाँच आदिम जनजाति बिरहोर टण्डा अवस्थित है जिसका नाम निम्न है। (i) कालीचट्टान (ii) अमनारी (iii) बुढाचाँच (iv) मंदरामो (v) पीपराडीह उपायुक्त गिरिडीह के पत्रांक–1184 दिनांक–06.11.15 द्वारा अंचल अधिकारी बगोदर से भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव मांगा गया। अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा उपलब्ध कराये गये भूमि पर ही PVTG आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। विभाग द्वारा उक्त आवासीय विद्यालय को संचालित करने की कार्रवाई की जा रही हैं।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आदिम जनजाति निवासित क्षेत्र में आवासीय भवन बनाने तथा इस प्रकार के औचित्यहीन योजना बनाने की दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:– 10 / CCD –वि०स०प्र०–03 / 2019 2503 राँची, दिनांक:– 23/7/19

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 1543, दिनांक:– 17.07.19 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के विशेष सचिव।

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-25-07-19 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला अंतर्गत प्रखण्ड सरैयाहाट के बमनखेता पंचायत में रेल लाईन बिछाने हेतु गहरी खुदाई होने के कारण जल स्तर काफी नीचे चला गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त स्थल के जलस्तर नीचे चले जाने से बाँध पोखर एवंम् जल श्रोत मृतप्राय हो गए है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब सुखे बांध, पोखर एवं अन्य जल श्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु समुचित उपाय करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?	सुखे बांध पोखर एवं अन्य जल श्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया है एवं प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। लाभ–लागत अनुपात, बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां0–71/2019 3981 / राँची, दिनांक– 23/07/19

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–1491 दिनांक–16.07.19 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/19

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री राधाकृष्ण किशोर, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना सं०–1083, दिनांक–22.02.2019 के द्वारा पलामू जिला अंतर्गत मेदिनीनगर को सदर पुलिस अनुमंडल का दर्जा दिया गया है, जो अभी तक पुलिस अनुमंडल के रूप में कार्यरत नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सदर पुलिस अनुमंडल, मेदिनीनगर को कार्यरत बनाना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	पलामू जिलान्तर्गत मेदिनीनगर को सदर पुलिस अनुमंडल का दर्जा दिया गया है। सम्प्रति मेदिनीनगर सदर पुलिस अनुमंडल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं किया जा सका है। पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक कोटि में प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। अतः पुलिस उपाधीक्षक कोटि में पदाधिकारी उपलब्ध होते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर (मेदिनीनगर) के पद पर पुलिस उपाधीक्षक का पदस्थापन कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–12 / वि०स०–8001 / 2019–3882 / राँची, दिनांक–24/07/19 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1358, दिनांक–13.07.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/19
सरकार के अपर सचिव।

श्री प्रकाश राम, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–08 का उत्तर प्रतिवेदन :– (152)

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अंतर्गत हेरहंज प्रखण्ड में कसमार ग्राम के निवासी जलेन्द्र पासवान उर्फ बीरू पासवान की हत्या दिनांक–31.05.2019 को रात्रि 1.30 बजे उग्रवादी संगठन के द्वारा कर दी गई थी ;	हेरहंज प्रखण्ड के कसमार ग्राम के निवासी जलेन्द्र पासवान उर्फ बीरू पासवान की हत्या दिनांक–31.05.2019 को रात्रि 1.30 बजे अज्ञात 5–7 अपराधकर्मियों द्वारा की गई है। इस संबंध में हेरहंज थाना काण्ड सं०–15/19, दिनांक–01.06.2019 धारा–302/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया है। अब तक हत्या में किसी उग्रवादी संगठन की संलिप्तता प्रकाश में नहीं आई है।
2	क्या यह बात सही है कि मृतक जलेन्द्र ही अपने घर का कमाऊ लड़का था जिससे परिवार का भरण–पोषण होता था ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मृतक जलेन्द्र पासवान उर्फ बीरू पासवान के आश्रित भाई सुरेन्द्र पासवान उम्र 32 वर्ष को मुआवजा की राशि एवं सरकारी नौकरी प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के सदस्यों द्वारा सामान्य नागरिक/गैर सरकारी व्यक्ति की हत्या होने की स्थिति में मृतक के आश्रित को अनुग्रह–अनुदान एवं अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में नौकरी दिये जाने का प्रावधान है। तदनुसार मृतक की हत्या उग्रवादियों द्वारा किये जाने की पुष्टि के उपरांत उपायुक्त से एतद् संबंधित प्रस्ताव प्राप्ति के पश्चात उनके आश्रित को देय अनुमान्य लाभ की नियम सम्मत स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स० (02)–07/2019–3880/ राँची, दिनांक–24/07/19 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1562, दिनांक–18.07.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/19
सरकार के अपर सचिव।

(154)

श्री आलमगीर आलम, माननीय, स.वि.स. द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–ज–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिलान्तर्गत पाकुड़ प्रखण्ड के (1) पंचायत तारानगर में तोराई नदी किनारे ग्रामीण सड़क एवं घरों में कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य (2) पंचायत झिकरहाटी पूर्वी इस्लामपुर में बदरूल के घर के पीछे मसना नदी किनारे कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य (3) पंचायत उदय नारायणपुर में टिकरपाड़ा कब्रिस्तान से बरगाछा जामतल्ला तक मसना नदी किनारे कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य योजना की स्वीकृति के लिए टी०ए०सी० एवं एस०आर०सी० द्वारा वर्ष–2019 में अनुशंसा की गयी है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति अबतक लम्बित है।	स्वीकारात्मक
2	यदि उक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड एक में वर्णित पाकुड़ प्रखण्ड के सभी तीन कटाव निरोधक कार्य योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देकर कटाव निरोधक कार्य चालू वित्तीय वर्ष में प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	हाँ/प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०स०वि०–20–तारां०–70/2019 4035 /राँची, दिनांक– 24/07/19

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं०प्र०–1494, दिनांक–16.07.2019 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदा०–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/19

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

155

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स०, झारखण्ड से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या का०–02 का उत्तर सामग्री।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी नियमानुसार 3 वर्ष से अधिक समयावधि तक एक ही स्थान पर कार्यरत नहीं रह सकता है।	किसी सरकारी पदाधिकारी / कर्मी को तीन साल से एक स्थान पर पदस्थापित हैं, उन्हें स्थानान्तरित कर देने की नियमतः कोई बाध्यता नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड मुख्यालय में कार्यरत सांख्यिकी पदाधिकारी श्री बीरेन्द्र विश्वकर्मा वर्ष 2010 से पदस्थापित है।	स्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कंडिका–2 में वर्णित पदाधिकारी का स्थानान्तरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	स्थानातरण हेतु होने वाली आगामी स्थापना समिति की बैठक में विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(योजना प्रभाग)

ज्ञापांक 702(यो०) दिनांक 23.07.2019

प्रतिलिपि :–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1368 दिनांक 13.07.2019 के आलोक में 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.7.19

(हरिश्चन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव।

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय, स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–ज०–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत बटाने जलाशय योजना एक अन्तरराज्जीय परियोजना है, जो बनकर तैयार है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 (एक) में वर्णित परियोजना के मुख्य गेट को विस्थापित संघर्ष मोर्चा के लोगों के द्वारा गेट को उठाकर वेल्डींग कर दिये जाने के कारण जल संग्रहण नहीं हो पा रहा है जिसके कारण किसानों को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है;	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–एक (1) एक दो (2) में वर्णित विषय के आलोक मे वेल्डींग किये गए मेन गेट को दुरूस्त कर जल संग्रहण सुनिश्चित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं क्यों ?	बटाने जलाशय योजना के लिए पुनर्वास मद में आवश्यक राशि रू० 9.87 करोड़ एवं भू–अर्जन मद में रू० 8.696 करोड़ का आवंटन वर्ष 2019–20 में विमुक्त कर दिया गया है। बजटीय उपबंध प्राप्त होने पर शेष राशि आवंटित की जा सकेगी। भू–अर्जन एवं पुनर्वास संबंधि मुआवजा का भुगतान पूर्ण कर विस्थापितों के जनअवरोध को शीघ्र समाप्त करने के पश्चात् डैम गेटों के अधूरे कार्य को शीघ्र पूरा कर योजना का समुचित लाभ किसानों को प्रदान की जायेगी।

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक सं०–6/ज०स०वि०–20–तारां–69/2019– 3988 **राँची/दिनांक** 23/07/19

प्रतिलिपि–अवर/उप सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं० प्र०–1493, वि०स० दिनांक–16.07.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कॉके, राँची/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ प्रशाखा पदा०–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/19

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(157)

श्री राम कुमार पाहन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.07.19 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–07 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री राम कुमार पाहन, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत ईरबा रामगढ़ रोड से पुरूलिया रोड तक निर्माणाधीन बाईपास सड़क के बीच में बिजली का खंभा रहने के कारण सड़क निर्माण कार्य में काफी परेशानी हो रही है;	स्वीकारात्मक
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उक्त निर्माणाधीन सड़क से बिजली का खंभा स्थानांतरित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राँची जिला अन्तर्गत निर्माणाधीन इरबा-रामगढ़ रोड से पुरूलिया रोड में बिजली का खम्भा सड़क के किनारे अवस्थित है जिससे वहाँ के उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति किया जा रहा है। वर्त्तमान में इरबा-रामगढ़ रोड से पुरूलिया रोड तक बाईपास सड़क के चौड़ीकरण का कार्य SHAI के द्वारा किया जा रहा है। सड़क के किनारे लगे पोल को हटाने हेतु जमा योजना अन्तर्गत प्राक्कलन संख्या-13/RESA/Deposit/ 2018-19 राशि रू० 2,064,0626/- स्वीकृत है। जिसकी सूचना महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, राँची के पत्रांक 889 दिनांक 19.03.2019 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, आर०सी०डी०, रोड डिविजन-राँची को दी गई है। किन्तु अभी तक आर०सी०डी०, राँची के द्वारा राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। संबंधित विभाग द्वारा राशि उपलब्ध कराने के पश्चात् लगभग छः माह के अंदर कार्य पूरा करा लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :– 1840 / राँची, दिनांक :– 23/7/19

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/19

सरकार के अवर सचिव।

158

श्री नलिन सोरेन, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–क०–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के प्रखण्ड काठीकुण्ड अन्तर्गत ग्राम–बोकवा, पंचायत–बड़ाचापुड़ीया एवं ग्राम–झगड़ाही, पंचायत–पिपरा तथा ग्राम–बड़ाचपड़ा, पंचायत–काठीकुण्ड में कॉमन फेसिलीटी सेंटर का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 में शुरू कराया गया था, लेकिन संवेदकों का भुगतान अबतक लंबित है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कॉमन फेसिलीटी सेंटर निर्माण हेतु भारत सरकार से प्राप्त देयता राशि विभागीय आवंटनादेश संख्या–165, दिनांक–20.06.2017 द्वारा व्यय करने का निर्देश दिया गया है,	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि संवेदकों द्वारा लिखित रूप से अग्रेतर कार्य करने का अनुरोध पत्र देने के बावजूद भी अबतक 02 (दो) वर्षों से भुगतान लंबित है,	उपायुक्त, दुमका के पत्रांक–1047, दिनांक–20.07.19 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस योजना का कार्यकारी एजेन्सी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास, विशेष प्रमण्डल, दुमका है। राशि कार्यकारी एजेन्सी को हस्तान्तरित कर दी गयी है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास, विशेष प्रमण्डल, दुमका द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पत्रांक–873, दिनांक–11.07.19 द्वारा संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को अद्यतन प्रतिवेदन एवं अद्यतन विपत्र संवेदक के समक्ष मापी ले कर एक सप्ताह के अन्दर देने का निदेश दिया गया है, जिसके आधार पर विपत्र प्राप्त होते ही धारित राशि के भुगतान की कार्रवाई इस माह के अन्त तक कर दी जायेगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संवेदकों का लंबित भुगतान तथा 02 (दो) वर्षों से आवंटनादेश प्राप्त होने के बावजूद भुगतान नहीं करने वाले दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर दंडित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः– 10/वि०स०प्र०–CFC–02/2019 2497 राँची, दिनांकः– 23/7/19

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1498, दिनांकः–16.07.19 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/7/19

(सुबोध किशोर सोरेंग)
सरकार के विशेष सचिव।

G:\hira\kailash sir\Bidhan Sabha Question.docx6

(159)

डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.07.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–02 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता–डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर ,
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत इस मॉनसून में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है;	अस्वीकारात्मक। खरीफ वर्ष 2019–20 में मॉनसून का आगमन 21 जून को हुआ है। खरीफ वर्ष 2019–20 में जिला जामताड़ा में माह जून 2019 का सामान्य वर्षापात 247.7 मि.मी. के विरूद्ध वास्तविक वर्षापात 91.2 मि.मी. तथा जुलाई 2019 में दिनांक–16.07.2019 तक सामान्य वर्षापात 168.05 मि.मी. के विरूद्ध 132.2 मि.मी. वर्षा (79.1%) हुई है। IMD के अनुसार जुलाई में अच्छी बारिश की सम्भावना है। तत्काल सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।
2	क्या यह बात सही है कि किसानों को धान रोपनी के लिए पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गयी है;	अस्वीकारात्मक। सिंचाई की व्यवस्था हेतु पूर्व वित्तीय वर्षो में डोभा, परकोलेशन टैंक का निर्माण किया गया है तथा पाँच एकड़ से कम सरकारी एवं निजी तालाबों का जीर्णोद्धार भी कराया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जामताड़ा जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने के साथ–साथ सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रासंगिक नहीं है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–3/कृ0वि0स0(ता0)–34/2019 1768 **कृ0, राँची, दिनांक**– 23-07-19

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1380 दिनांक–14.07.2019 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.07.19

(चन्द्र भूषण)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–3/कृ0वि0स0(ता0)–34/2019 1768 **कृ0, राँची, दिनांक**–23-07-19

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.07.19

सरकार के अवर सचिव।